



# शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
राजीव गांधी भवन,  
सफदरजंग हवाईअड्डा,  
नई दिल्ली-110003



सं. एएआई/एमएफ/संशोधित डीओपी-2021/ 0508

05 अगस्त, 2021

**विषय : शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन -2021**

शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन की पिछली समीक्षा और संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था। शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन को भाविप्रा में विभिन्न निदेशालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर तैयार किया गया था और यह महसूस किया गया कि नव निर्मित निदेशालयों जैसे कि जेवीसी, बीडीयू, एसआईयू, आदि को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए वित्तीय शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं था। यह भी अनुभव किया गया कि विभिन्न निदेशालयों में अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के लिए कार्यों की प्रकृति समान होने के बावजूद प्रत्यायोजित शक्तियाँ एक-दूसरे के जैसी नहीं थीं।


2. उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए, संशोधित डीओपी-2021 में निदेशालयों में बिना भेदभाव किए वित्तीय शक्तियों को कार्य की प्रकृति और व्यावहारिकता के अनुसार परिभाषित किया गया है।

3. भाविप्रा के बोर्ड द्वारा 07 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 201वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष, पूर्णकालिक (कार्यात्मक) सदस्यों और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन को स्वीकृति दी गयी।

4. बढ़ाई गई वित्तीय शक्तियां अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाती हैं और इसलिए सभी प्रस्ताव अपेक्षित वित्तीय औचित्य और बजटीय मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। जिन विभागों के पास पूर्व अनुमोदित नियम-पुस्तिका उपलब्ध है, वे सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि डीओपी के सीधे संदर्भ रखने वाले खंड (क्लाज) और प्रक्रिया या कार्यविधि, जो कि हो सकता है बदल गई हों, संशोधित डीओपी-2021 नियम-पुस्तिका में निहित प्रावधानों का उस सीमा तक अधिक्रमण (supersedes) करता है।

5. यद्यपि संशोधित डीओपी-2021 में विभिन्न निदेशालयों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले सभी कार्यों को शामिल करने के गंभीर प्रयास किए गए हैं, लेकिन अगर वित्तीय शक्ति में कोई विसंगति हो/कोई कमी रह गई हो/कोई कार्य छूट गया हो तो इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक (वित्त), वित्तीय सहमति अनुभाग, निगमित मुख्यालय के ई.मेल [gmfchqfc@aai.aero](mailto:gmfchqfc@aai.aero) पर भेजकर उनके ध्यान में लाया जा सकता है।

6. संशोधित डीओपी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और सभी प्रस्ताव, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है, उन पर संशोधित डीओपी-2021 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

  
(के. विनायक राव)



# अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	डीओपी पैरा	पेज न०
1	सामान्य जानकारी	1.1 to 1.46	1 - 18
2	मानव संसाधन प्रबंधन (म.सं.प्र.) मामलों से संबंधित शक्तियाँ	2.1 to 2.12	19 - 29
3	प्रशासन मामलों से संबंधित शक्तियाँ	3.1 to 3.12	30 - 34
4	राजस्व अर्जन प्रस्तावों से संबंधित शक्तियाँ	4.1 to 4.11	35 - 42
5	कानूनी मामलों से संबंधित शक्तियाँ	5.1 to 5.10	43 - 46
6	राजस्व मामलों-वैमानिकी और हवाईअड्डा प्रभार से संबंधित शक्तियाँ	6.1 to 6.4	47
7	संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबंधित शक्तियाँ	7.1 to 7.16	48 - 59
8	पूंजीगत कार्यों से संबंधित शक्तियाँ	8.1 to 8.14	60 - 70
9	राजस्व व्यय प्रस्तावों से संबंधित शक्तियाँ	9.1 to 9.51	71 - 101
	परिशिष्ट A		102
	स्पष्टीकरण दिनांक 07-12-2021	1.39	103 - 104
	स्पष्टीकरण दिनांक 03-01-2022	4.5 (c), 9.13 (d)	105 - 106
	संशोधन सं० 01 दिनांक 05-01-2022	1.25 (B) (x), 1.25 (D) (iii), 1.26, 1.32, 1.38 (b), 4.1 (c), 4.3 (b), 4.12 (a) & (b), 9.10 (c) & (d), 9.14.1, 9.23 (a)	107 - 113
	संशोधन सं० 02 दिनांक 15-03-2022	1.39, 5.5.1	114 - 115
	स्पष्टीकरण सं० 03 दिनांक 26-05-2022	5.5	116 - 117

**\*\* किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही अधिकृत माना जाए \*\***



अध्याय-1

# सामान्य जानकारी

## शक्तियों का प्रत्यायोजन

### अध्याय-1

#### सामान्य जानकारी

- 1.1 प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का यह दस्तावेज 01 अगस्त, 2021 से लागू होगा।
- 1.2 प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के पिछले सभी आदेश या ऐसे दस्तावेज, जो लागू थे, इस दस्तावेज के लागू होने की तारीख से निष्प्रभावित हो जाएंगे।
- 1.3 यहां प्रत्यायोजित सभी शक्तियाँ समय-समय पर संशोधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम), 2003 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन हैं, और इनका प्रयोग अधिकारियों द्वारा केवल उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर और वित्तीय सहमति सहित निर्धारित नियमों, विनियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। किसी भी दिशा-निर्देश के अभाव में, मानक प्रथाओं/परिपाटी का पालन किया जाएगा।
- 1.4 अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ उनके उत्तरदायित्व क्षेत्र तक सीमित होंगी।
- 1.5 यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि निर्णय लेने के स्तर अधिकतम चार स्तरों तक सीमित हों।
- 1.6 वित्तीय पहलुओं से जुड़े सभी प्रस्तावों का प्रयोग प्रत्यायोजित प्राधिकारियों (अध्याय 2, 3, पैरा 4.3 और प्रशासनिक शक्तियों वाले अन्य पैरा को छोड़कर) द्वारा पैरा 1.20 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व वित्तीय सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए किसी वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। गठित बोर्डों/समितियों (पैरा 1.25 के तहत दिए गए) के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए भी प्राधिकारी की पूर्व वित्तीय सहमति की आवश्यकता होगी, जैसा कि पैरा 1.20 के तहत निर्धारित किया गया है। उक्त बोर्डों/समितियों में एक वित्त अधिकारी की उपस्थिति वित्तीय सहमति की आवश्यकताओं को बाधित नहीं करती है।

यदि कुछ व्यय वित्तीय सहमति के बिना और/या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी अत्यावश्यक या आकस्मिक परिस्थितियों के कारण किये गए हैं जो बहुत असाधारण और अपरिहार्य होने चाहिए, तो ऐसे व्यय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए औचित्य के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है। चूंकि वित्तीय सहमति व्यय से पहले होती है, इसलिए किसी कार्योत्तर सहमति की आवश्यकता नहीं होगी/निवेदन नहीं किया जाएगा। यह राजस्व अर्जन प्रस्तावों पर भी लागू होगा।

- 1.7 संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/हवाईअड्डे/यूनिट में वित्त प्रमुख और प्रस्तावित निदेशालय के बीच मतभेद की स्थिति में मामले को संबंधित क्षेत्रीय/वि.नि./यूनिट प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा, जो अपना निर्णय दर्ज करेंगे। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग के प्रमुख की राय को अस्वीकार किया जाता है, तो क्षेत्रीय कार्यालय /हवाईअड्डे/यूनिट का वित्त विभाग ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट अगले महीने की 7 तारीख तक संबंधित क्षेत्रीय/वि.नि. (का.नि. स्तर के) के माध्यम से निगमित मुख्यालय में वित्त निदेशालय को अपनी टिप्पणियों/विचार के साथ भेजेगा। ।
- 1.8 निगमित मुख्यालय में वित्त और संबंधित निदेशालय के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले को संबंधित सदस्य को भेजा जाएगा जो सदस्य (वित्त) के परामर्श से इस मामले पर निर्णय लेंगे। निरंतर मतभेद की स्थिति में, मामले को निर्णय के लिए अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा ।
- 1.9 अध्यक्ष का अपने अधीनस्थ प्राधिकरण के सभी अधिकारियों के साथ-साथ भारत और विदेशों में प्राधिकरण के निदेशालयों, हवाईअड्डों, परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों पर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र होगा।
- 1.10 आपातिक परिस्थितियों में, किसी भी मामले के संबंध में, जिस पर सामान्य रूप से बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष के पास प्राधिकरण के हित में, अधिनियम की समग्र सीमा में, जैसा कि वह उचित समझे उस तरह से कार्य करने की शक्तियाँ होंगी, बशर्ते इस शक्ति के प्रयोग से की गई कोई भी कार्रवाई, जहां आवश्यक हो, अनुसमर्थन के लिए बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी ।
- 1.11 आपातिक परिस्थितियों में, निगमित मुख्यालय के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी मामले के संबंध में, विमानपत्तन निदेशक (का.नि. स्तर के) और

क्षेत्र में क्षे.का.निदेशकों के पास प्राधिकरण के हित में, अधिनियम के तहत समग्र सीमाओं के भीतर, उस तरह से कार्य करने की शक्तियाँ होंगी, जैसा कि वह उचित समझे, बशर्ते कि इस तरह की गई किसी भी कार्रवाई को, अनुसमर्थन के लिए अध्यक्ष/ संबंधित पूर्णकालिक सदस्य को सूचित किया जाएगा। इसी तरह फील्ड स्टेशनों के मामले में, आपातक मामलों में जहां क्षे.का.नि. की मंजूरी की आवश्यकता होती है, हवाईअड्डा प्रभारी प्राधिकरण के हित में और अधिनियम के तहत समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा वह उचित समझें, उस तरह से कार्य करेंगे और अनुसमर्थन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट करेंगे।

1.12 पूर्णकालिक सदस्य विभागीय प्रमुखों, क्षे.का.नि., विमानपत्तन निदेशकों/परियोजना प्रभारियों और उनके नीचे के अधिकारियों को दी गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

1.13 कोई भी अधिकारी जो स्तर में वरिष्ठ है, वह उसे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों को प्रत्यायोजित किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

1.14 (ए) निगमित मुख्यालय से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, उनके द्वारा विधिवत अधिकृत पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जा रही वित्तीय शक्तियों सहित अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी मामलों की सूचना अध्यक्ष के लौटने पर उन्हें दी जाएगी। किसी पूर्णकालिक सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति में नामित लिंक अधिकारी ऐसे सदस्य को प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(बी) क्षे.का.नि./विनि की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में, उपलब्ध और अधिकृत कार्यवाहक/स्थानापन्न क्षे.का.नि./विनि के रूप में अधिकृत वरिष्ठतम अधिकारी, क्षे.का.नि./विनि द्वारा प्रयोग की जा रही वित्तीय शक्तियों सहित, जैसा भी मामला हो, क्षे.का.नि./विनि की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी मामलों की सूचना क्षे.का.नि./विनि को उनकी वापसी पर दी जाएगी।

(सी) छुट्टी या किसी अन्य कारण से कार्यालय में विभागाध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में, उपलब्ध अगला वरिष्ठतम अधिकारी कार्यवाहक विभागाध्यक्ष/यूनिट प्रभारी के रूप में कार्य करेगा और उस विभागाध्यक्ष की शक्तियों का, उनके वापिस कार्यभार संभालने तक, प्रयोग करेगा।

- 1.15 मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास नियमों/विनियमों/निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णकालिक सदस्य (कार्यात्मक) के बराबर शक्तियाँ होंगी। वित्तीय पहलुओं से जुड़े ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए पैरा 1.20 के अनुसार नामित प्राधिकारी की वित्तीय सहमति की आवश्यकता होगी।
- 1.16 शक्तियों के प्रत्यायोजन और नियमावली के प्रावधानों में शक्तियों में अंतर होने पर शक्तियों के प्रत्यायोजन में निहित प्रावधान मान्य होंगे।
- 1.17 प्रधानाचार्य, सीएटीसी कार्यात्मक और प्रशासनिक कार्यों के लिए क्षे.नि. को प्रत्यायोजित शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- 1.18 वित्त निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार वित्तीय पहलुओं से जुड़े सभी प्रस्तावों पर मुख्यालय/क्षेत्र/एसएयू/स्टेशनों/इकाइयों में संबंधित वित्त अधिकारियों द्वारा सहमति दी जाएगी।
- 1.19 निगमित मुख्यालय में, ऐसे निदेशालय जिनका नेतृत्व कार्यपालक निदेशक नहीं कर रहे हैं (मप्र स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में), शक्तियों का प्रयोग संबंधित पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाएगा। तथापि, संबंधित पूर्णकालिक सदस्य, लिखित आदेश द्वारा, उस विभाग विशेष के का.नि. की शक्तियों को महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को सौंप सकते हैं ।
- 1.20 वित्तीय सहमति के लिए प्राधिकारी: -

(ए) निगमित मुख्यालय	
प्राधिकारी	शक्तियों की सीमा
सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले। इसमें वित्तीय पहलुओं से जुड़े नीतिगत निर्णय शामिल होंगे ।
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	पूर्णकालिक सदस्यों/ सीवीओ द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले।
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	का.नि. द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले ।

संमप्र (वित्त एवं लेखा) /उपमप्र (वित्त एवं लेखा)	महाप्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले।
उपमप्र (वित्त एवं लेखा) /समप्र (वित्त एवं लेखा)	संयुक्त महाप्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले।
समप्र (वित्त एवं लेखा) /वरिप्र (वित्त एवं लेखा)	उप महाप्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले।
वरिप्र (वित्त एवं लेखा) /प्र (वित्त एवं लेखा)	सहायक महाप्रबंधकों/वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव/मामले।

**(बी) क्षेत्रीय मुख्यालय/विनि ग्रेड- I स्टेशन/विनिग्रेड- I की शक्तियों का प्रयोग करने वाले विनि ग्रेड- II स्टेशन: -**

- (i) वित्त प्रभारी के रूप में नामित अधिकारी विनि ग्रेड-I की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षे.का.नि./विनि ग्रेड-I/विनि ग्रेड-II द्वारा अनुमोदित होने वाले सभी प्रस्तावों/मामलों के लिए प्राधिकारी होगा।
- (ii) विनि ग्रेड-I की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षे.का.नि./विनि ग्रेड-I/विनि ग्रेड-II से नीचे के स्तर के किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों/मामलों के लिए, वित्त प्रभारी अधिकारी वित्तीय सहमति के लिए किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित कर सकता है जो प्रबंधक (वित्त) से नीचे के स्तर का न हो/के न हों ।

**(सी) विनि ग्रेड-II, ग्रेड-III और ग्रेड-IV व अन्य फील्ड स्टेशन:**

- (i) नामित वित्त प्रभारी वित्तीय सहमति देने के लिए प्राधिकारी होगा। इस प्रकार नामित वित्त प्रभारी सप्र (वित्त) और उससे ऊपर के स्तर का हो ।
- (ii) विनि ग्रेड-II/ग्रेड-III/ग्रेड-IV से नीचे के स्तर के किसी भी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों/मामलों के लिए वित्त प्रभारी अधिकारी वित्तीय सहमति के लिए ऐसे अधिकारी/अधिकारियों को नामित कर सकते हैं, जिनका स्तर सप्र (वित्त) से नीचे का न हो ।

**(डी) वित्त निदेशालय द्वारा शुरू की गई निविदा/कोटेशन के लिए सलाहकार आदि की नियुक्ति के संबंध में ।**

- (i) **क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्त निदेशालय द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावों के लिए:** संबंधित वित्त अनुभाग द्वारा (क्षे.का.नि. के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद) निविदा कार्रवाई शुरू की जा सकती है और नामित मप्र/संयुक्तमप्र/उमप्र/समप्र/वप्र(वित्त) (एनआईटी/एनआईक्यू शुरू करने वाले अधिकारी के अलावा) द्वारा क्रमशः क्षे.का.नि./मप्र(वित्त)/संमप्र(वित्त)/उमप्र(वित्त)/समप्र(वित्त) द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक वित्तीय सहमति दी जा सकती है।
- (ii) **ग्रेड-I हवाईअड्डों पर वित्त निदेशालय द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावों के लिए:** संबंधित वित्त अनुभाग द्वारा (विनि के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद) निविदा कार्रवाई शुरू की जा सकती है और नामित मप्र/संमप्र/उमप्र/समप्र/वप्र(वित्त) (एनआईटी/ एनआईक्यू शुरू करने वाले अधिकारी के अलावा) द्वारा क्रमशः विनि/मप्र(वित्त)/संमप्र(वित्त)/उमप्र(वित्त)/समप्र(वित्त) द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक वित्तीय सहमति दी जा सकती है।
- (iii) **एसएयू सहित ग्रेड-II, ग्रेड-III, ग्रेड-IV हवाईअड्डों पर वित्त निदेशालय द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव के लिए:** स्टेशन पर संबंधित वित्त प्रभारी द्वारा (संबंधित विनि के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद) निविदा कार्रवाई शुरू की जा सकती है और वित्तीय सहमति के लिए संबंधित आरएयू (क्षेत्रीय लेखा इकाइयों) को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय में सहमति के लिए संबंधित स्टेशन के लिए निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर नीचे के वित्त अधिकारी को प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा ।
- (iv) **आरएयू-6 में वित्त निदेशालय द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावों के लिए:** वित्त प्रभारी, आरएयू-6 द्वारा (प्रशासनिक प्रमुख के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद) निविदा कार्रवाई शुरू की जा सकती है और वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव निगमित मुख्यालय को भेजा जाना है। निमु में सहमति के लिए निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर

नीचे के वित्त अधिकारी को प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाना है।

1.21 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ चालू खाते, संग्रह खाते और संवितरण खाते खोलने, संचालित करने और बंद करने के लिए; अल्पावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण आदि जैसी निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ सीमा की स्थापना के लिए; क्रेडिट पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), आदि के माध्यम से खोलने और लेनदेन करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ सीमा (गैर-निधि आधारित) की स्थापना के लिए; और ऐसे खातों को संचालित करने के लिए भाविप्रा के अधिकारियों को नामित/निर्दिष्ट/शक्तियों को सब-डेलीगेट करने के लिए सदस्य (वित्त) सक्षम प्राधिकारी हैं।

1.22 निम्न/क्षेत्र/एसएयू/स्टेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान/चेक पर हस्ताक्षर का प्राधिकार:

प्राधिकारी	शक्तियों की सीमा
सहायक प्रबंधक (वित्त) और ऊपर - एकल	रु 50,000 / - तक
दो वित्त अधिकारी संयुक्त रूप से (सप्र और ऊपर)	रु 50,00,000 / - तक
दो वित्त अधिकारी संयुक्त रूप से द्वितीय अधिकारी उम्र और उससे ऊपर के अधिकारी के साथ **	रु 50,00,000 / - से ऊपर और रु 15 करोड़ तक
दो वित्त अधिकारी संयुक्त रूप से द्वितीय अधिकारी मप्र और उससे ऊपर के अधिकारी के साथ *	रु 15 करोड़ से ऊपर

नोट:

(i) स्टेशनों और कार्यालयों में, जहां केवल एक वित्त अधिकारी तैनात/उपलब्ध है, दूसरा हस्ताक्षरकर्ता या तो विनि/स्टेशन प्रभारी हो सकता है या विनि/स्टेशन प्रभारी द्वारा इस

उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी (प्रबंधक के पद से नीचे का नहीं) हो सकता है।

- (ii) उन स्टेशनों/इकाइयों में जहां कोई वित्त अधिकारी तैनात नहीं है, वित्त अधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकता वाले नियमित कार्यों को निकटतम/नामित एसएयू द्वारा देखा जाएगा।
- (iii) \* जिन स्टेशनों पर मप्र (वित्त) तैनात नहीं है, वहां मप्र स्तर और उससे ऊपर के स्तर के विनि दूसरे हस्ताक्षरकर्ता होंगे।
- (iv) \*\* जिन स्टेशनों पर उप महाप्रबंधक (वित्त) और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी तैनात नहीं है, वहां दूसरे हस्ताक्षरकर्ता परियोजना प्रभारी या विनि द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लेकिन उपमप्र के स्तर से नीचे नहीं होंगे।

1.23 बिलों को पारित करने और भुगतान कार्रवाइयों से संबन्धित शक्ति :

क्रम संख्या	विवरण	स. प्र. (वित्त)	प्रबं. (वित्त)	वरि. प्रबं. (वित्त) / समप्र (वित्त)	उप महाप्रबंधक(वित्त)/ संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)
<b>1. वेतन और कर्मचारियों से संबंधित भुगतान</b>					
(ए)	समेकित वेतन बिल/ पूरक बिल जैसे ओटीए /छुट्टी नकदीकरण आदि (प्रत्येक बिल सकल मूल्य)	रु 10 लाख तक	रु 100 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(बी)	व्यक्तिगत अनुपूरक बिल (सकल मूल्य)	रु 5 लाख तक	रु 25 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(सी)	ऋण और अग्रिम (सकल मूल्य)	रु 10 लाख तक	रु 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(डी)	गेच्युटी भुगतान	रु 10 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

<b>2. चिकित्सा भुगतान</b>					
(ए)	समेकित बिलों सहित बहिरंग चिकित्सा दावे (चिरकालिक बीमारियों के दावों सहित) (प्रत्येक सकल मूल्य)	रु 5 लाख तक	रु 25 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(बी)	अंतरंग चिकित्सा बिल दावे (समेकित बिलों सहित ) (प्रत्येक बिल सकल मूल्य )	रु 5 लाख तक	रु 25 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
<b>3. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और स्टाफ संबंधी अन्य भुगतान</b>					
(ए)	अंतर्देशीय यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता बिल भुगतान	रु 2.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(बी)	विदेश दौरे (समायोजन रुपये में)	रु 1.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(सी)	स्थानांतरण यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता	रु 5 लाख तक	रु 10 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(डी)	होटल बिल भुगतान	रु 2.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(ई)	स्टाफ संबंधी अन्य भुगतान	रु 2.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
<b>4 अभियांत्रिकी/खरीद/रखरखाव/सेवा बिल</b>					
(ए)	चालू बिल (सकल मूल्य)	रु 10 लाख तक	रु 100 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(बी)	अंतिम बिल (सकल मूल्य)	रु 5 लाख तक	रु 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

5	विविध				
(ए)	सभी वैधानिक भुगतान और उनकी रिटर्न को संबंधित प्राधिकारियों को जमा करना	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(बी)	बयाना राशि/प्रतिभूति जमा राशि की वापसी	रु 5 लाख तक	रु 25 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(सी)	अग्रदाय और तृतीय पक्ष बिल	रु 2.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(डी)	पंजीकरण जर्नल वाउचर और अन्य समायोजन जर्नल वाउचर	रु 2.5 लाख तक	रु 5 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

प्रबंधक (वित्त) जो एसएयू/परियोजना के वित्त प्रभारी हैं, व. प्र. (वित्त)/समप्र (वित्त) की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

1.24 बजटीय नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रत्येक शीर्ष/योजना पर होने वाले समस्त व्यय की निगरानी करके वित्त प्रमुख से समन्वय करते हुए संबंधित निदेशालय प्रमुख की होगी। अनुमोदित व्यय बजट में आवश्यक धन राशि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले निदेशालय को सुनिश्चित करनी होगी। धन न होने पर अथवा बजट प्रावधान में धन की कमी होने पर, डीओपी के अनुसार निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

1.25 (ए) सलाहकार बोर्डों का गठन:

- (i) कार्मिक सलाहकार बोर्ड में कानि. (मा.सं.), जो सदस्य सचिव होंगे, के साथ सभी पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे।
- (ii) वाणिज्यिक सलाहकार बोर्ड में संबंधित सदस्य, सदस्य (वित्त) और सदस्य (योजना) शामिल होंगे। कानि.(वाणिज्यिक) सदस्य सचिव होंगे।
- (iii) विधि सलाहकार बोर्ड में विधि निदेशालय के प्रभारी सदस्य, सदस्य (वित्त) और संबंधित सदस्य शामिल होंगे। विधि विभाग के प्रमुख सदस्य (सचिव) होंगे।

- (iv) कार्य सलाहकार बोर्ड में संबन्धित सदस्य (संबन्धित निदेशालय के कार्यो संबंधी), सदस्य (योजना), सदस्य (प्रचालन) और सदस्य (वित्त) शामिल होंगे। संबन्धित निदेशालय के कार्यपालक निदेशक सदस्य (सचिव) होंगे ।
- (v) खरीद सलाहकार बोर्ड में संबन्धित सदस्य, सदस्य(योजना),सदस्य (प्रचालन) और सदस्य (वित्त) शामिल होंगे। संबन्धित विभाग के का.नि./प्रभारी मप्र सदस्य (सचिव) होंगे।
- (vi) प्रचालन सलाहकार बोर्ड में संबन्धित सदस्य, सदस्य (योजना) एवं सदस्य (वित्त) शामिल होंगे । संबन्धित निदेशालय के का.नि. सदस्य (सचिव) होंगे।
- (vii) शीर्ष समिति में सदस्य (वित्त), सदस्य (मा.सं.), सदस्य (प्रचालन), सदस्य (योजना) और सदस्य (एएनएस) शामिल होंगे। का.नि.(आर एंड डी) / मप्र (आर एंड डी) शीर्ष समिति के सदस्य ( सचिव) के रूप में कार्य करेंगे ।
- (viii) जहां कहीं भी डब्ल्यूएबी या पीएबी की सिफारिशों पर शक्तियों को दर्शाया जाता है, यदि शक्तियाँ आर एंड डी से संबन्धित हैं तो डब्ल्यूएबी या पीएबी को शीर्ष समिति के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(संबन्धित सलाहकार बोर्ड उन मामलों में, जो अध्यक्ष की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर हों, अध्यक्ष की स्वीकृति हेतु या भाविप्रा बोर्ड के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष की सिफारिश के लिए, अपनी सिफारिशें देगा।)

**(बी) निगमित मुख्यालय की समितियां :**

- (i) कार्मिक सलाहकार समिति में का.नि. (मा.सं.), का.नि.(वित्त) और संबन्धित विभाग के का.नि. शामिल होंगे तथा म. प्र.(मा. सं) सदस्य (सचिव) के रूप में शामिल होंगे ।
- (ii) चिकित्सा सुविधा समिति में का.नि.(प्रशासन), का.नि.(वित्त) और नि. मु. के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे। मप्र(प्रशासन) सदस्य (सचिव) होंगे।
- (iii) कार्य सलाहकार समिति में का.नि. (अभि.), का.नि. (वित्त) एवं का.नि. (प्रचालन) शामिल होंगे व संबन्धित मप्र (अभि.) सदस्य सचिव होंगे ।
- (iv) खरीद सलाहकार समिति में संबन्धित का.नि., का.नि. (वित्त)/ मप्र(वित्त) - एएनएस (एएनएस प्रस्तावों के मामले में), और का.नि.(प्रचालन)/ का.नि.

- (एटीएम), जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे। संबंधित मप्र सदस्य (सचिव) के रूप में कार्य करेंगे।
- (v) वाणिज्यिक सलाहकार समिति (सीएसी) में संबंधित का.नि., का.नि (प्रचालन), का.नि. (वित्त) शामिल होंगे और संबंधित मप्र सदस्य (सचिव) के रूप में कार्य करेंगे।
- (vi) विधि सलाहकार समिति में का.नि. (विधि) /विभागाध्यक्ष (विधि), संबंधित निदेशालय के का.नि. एवं का.नि. (वित्त) शामिल होंगे। संबंधित मप्र सदस्य सचिव होंगे।
- (vii) खरीद सलाहकार समिति (आर एंड डी) में का.नि. (आर एंड डी), का.नि. (वित्त) और संबंधित का.नि. सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। संबंधित मप्र (आर एंड डी) पीएसीआरडी के सदस्य (सचिव) के रूप में कार्य करेंगे।
- (viii) नि. मु. में उप- सलाहकार समिति (कार्य) में संबंधित मप्र, मप्र (वित्त) और मप्र (प्रचालन) शामिल होंगे। संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक/उमप्र सदस्य सचिव होंगे।
- (ix) नि. मु. में उप-सलाहकार समिति (खरीद) में संबंधित मप्र, मप्र (वित्त) और मप्र (प्रचालन) शामिल होंगे। संबंधित संमप्र/उमप्र सदस्य सचिव होंगे।

**(सी) क्षेत्रीय/विनि ग्रेड-1/स्टेशन स्तरीय सलाहकार समितियां (आरएसी):**

- ⓐ आरएसी में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य विभागाध्यक्ष तथा संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य (सचिव) होने के नाते शामिल होंगे।
- ⓑ जहां प्रचालन भाविप्रा की जिम्मेदारी नहीं है तो प्रचालन विभाग के प्रमुख को संबंधित क्षेत्रीय/विनि से नामांकन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**(डी) आम समितियां :**

निम्नलिखित समितियां नि.मु./क्षेत्रीय मुख्यालयों/हवाई अड्डों और एएनएस स्टेशनों पर गठित की जाएंगी:

- ⑩ निविदा/कोटेशन(भौतिक) खोलने की समिति में तीन अलग-अलग निदेशालयों के तीन अधिकारी शामिल होंगे जिनमें से एक अधिकारी वित्त विभाग से होना चाहिए। जहां स्टेशन पर कोई वित्त अधिकारी नहीं है , वहां विनि यह सुनिश्चित करते हुये कि तीन अलग-अलग निदेशालयों के तीन अधिकारियों द्वारा समिति गठित की जाती है, एक अधिकारी को नामित कर सकते हैं।
- ⑪ ई-निविदा के लिए, निविदा खोलने की समिति में चार सदस्य शामिल होंगे जिसमें संबंधित निदेशालय के दो सदस्य होंगे और दो सदस्य वित्त निदेशालय से, इस प्रावधान के साथ कि उपरोक्त चार अधिकारियों में से किन्हीं दो द्वारा निविदाएं खोली जा सकती हैं, होंगे । वित्तीय बोली खोलते समय वित्त विभाग से एक सदस्य वहां उपस्थित होना चाहिए। किसी स्टेशन पर वित्त अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में, क्षेत्र से नामित वित्त प्रतिनिधि द्वारा दूरस्थ स्थान से ई-निविदा खोली जा सकती है।
- ⑫ खरीद संबंधी समिति में तीन अलग-अलग विभागों के तीन अधिकारी शामिल होंगे जिनका स्तर रु 15,000/- तक के मामले में, सहायक प्रबंधक स्तर से नीचे का न हो, व उससे अधिक के खरीद संबंधी मामलों के लिए न्यूनतम प्रबन्धक स्तर के अधिकारी होने चाहिए। तथापि, डीओपी के पैरा 9.20 के तहत खरीद के लिए वित्त अधिकारी को शामिल किया जाना है।
- ⑬ मोलभाव समिति में तीन अलग -अलग विभागों से तीन अधिकारी शामिल होंगे जिसमें से एक अधिकारी वित्त विभाग से होना चाहिए तथा दूसरा उस संबंधित विभाग, जहां काम शुरू किया गया है, से होना चाहिए। अधिकारी प्रबन्धक स्तर से नीचे के नहीं होने चाहिए । इसके अलावा, मोलभाव समिति का गठन निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

**नोट: डीओपी में परिकल्पित के अतिरिक्त किसी भी अन्य बोर्ड/समिति को अध्यक्ष से अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।**

1.26 किसी भी क्षेत्रीय मुख्यालयों/हवाईअड्डों/स्टेशनों/यूनिटों (किसी भी श्रेणी के) पर तैनात सभी महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबन्धक डीओपी के विभिन्न अध्यायों में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे । तथापि,

सैद्धांतिक अनुमोदन और/या एएंडईएस यूनिट प्रमुख अर्थात् क्षेका.नि./विनि द्वारा दिया जाएगा।

1.27 (ए) जब विमानपत्तन निदेशक के स्तर/ग्रेड से उच्च रैंक के अधिकारी को अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, तो उच्च रैंक का अधिकारी उस हवाईअड्डे के विनि के ग्रेड/स्तर तक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(बी) विमानपत्तन निदेशक के स्तर/ग्रेड से निचले स्तर के अधिकारी को उक्त हवाईअड्डे पर अस्थायी रूप से तैनात/अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है तो उक्त अधिकारी हवाईअड्डे के विनि के ग्रेड/स्तर तक की शक्तियों का प्रयोग, निगमित मुख्यालय की अनुमति से, कर सकता है।

1.28 विदेश से सामग्री के आयात से संबन्धित खरीद के सभी प्रस्ताव/अनुबंध भारत सरकार के दिशानिर्देशों/भाविप्रा नियमावली के अनुसार होने चाहिए। माल की खरीद (पुर्जों, पुस्तकों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सहित) और/या सेवाओं के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा व्यय से जुड़े ऐसे सभी अनुबंधों को निगमित मुख्यालय में पूर्णकालिक सदस्यों, उनकी या उनके नीचे के अधिकारी की शक्ति में आने वाले अनुबंधों के लिए) के पास विदेशी मुद्रा सामग्री के लिए अनुमोदन हेतु, डीओपी में अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा प्रचलित विदेशी मुद्रा दर पर विचार करते हुये, भारतीय रुपए में संविदा मूल्य को विधिवत अनुमोदित करने के बाद भेजा जाएगा। एफआईयू, सीएमसी/एसएमयू और सीआरएसडी के विदेशी मुद्रा से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में, का.नि.(एफआईयू) को रु 50 लाख के समतुल्य विदेशी मुद्रा व्यय को मंजूरी देने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापि, अध्यक्ष के पास विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को मंजूरी देने की पूरी शक्ति है।

1.29 अनुबंध की शर्तों को एक बार लागू कर देने पर अनुबंध स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों से इतर या अनुबंध की दरों से अधिक क्षतिपूर्ति या अन्य के रूप में कोई भी भुगतान ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि मूल रूप से निविदा को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता।

- 1.30 आम तौर पर खुली निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद ही ठेके दिए जाने चाहिए। तथापि, जहां खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं और ठेके/खरीद पर कार्य सीमित निविदाओं के माध्यम से किए जाते हैं तो ऐसा करने के विशेष कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए तथा निविदा स्वीकार करने वाले सक्षम अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी से लिखित में अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, अध्यक्ष के पास पूर्ण शक्तियाँ होंगी।
- 1.31 संबंधित निदेशालय प्रतिष्ठित और सक्षम फर्मों को सीमित निविदा इंकवायरी जारी करेंगे। ये इंकवायरी उन पार्टियों से की जा सकती है, जिनकी साख का सत्यापन नि.मु. में कार्यपालक निदेशकों/क्षेका.नि./विनि(का.नि.स्तर के) द्वारा तीन वर्ष में एक बार बुलाई गई पूर्व-योग्यता बोलियों की सहायता से किया जाता है। तथापि, इस प्रक्रिया के अभाव में, संबंधित पूर्णकालिक सदस्य को सीमित निविदा कार्रवाई हेतु पार्टियों की सूची को अनुमोदित करने का अधिकार होगा। सूची को भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है।
- 1.32 तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए समिति गठित करने का पूर्ण अधिकार होगा। तकनीकी मूल्यांकन समिति प्रत्येक तकनीकी बोली के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, चाहे उनकी आगे की प्रक्रिया के लिए सिफारिश की गई हो या नहीं। तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के पास तकनीकी बोली (बोलियों) को स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। तकनीकी मूल्यांकन संबंधित निदेशालय /विषय क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले अन्य संबंधित निदेशालयों द्वारा किया जाएगा।
- 1.33 संयुक्त कार्यों (पूँजीगत खरीद और रखरखाव सहित) के प्रस्तावों के लिए, जैसा भी मामला हो, अध्याय-7 और 8 के तहत शक्तियों को लागू किया जाएगा। स्टैंडअलोन प्रचालन और रखरखाव कार्यों के प्रस्ताव के लिए, अध्याय-9 के अंतर्गत निहित शक्तियों को लागू किया जाएगा।
- एसआईटीसी सहित पूँजीगत उपकरणों की खरीद से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को समय-समय पर संशोधित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भाविप्रा नियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और इससे संबन्धित किसी भी अन्य दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार डीओपी के अध्याय-7 के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

- 1.34 **निवेश:** भात्रिपा अधिनियम 1994 के अध्याय पांच (5) की धारा 24 (3) के प्रावधानों एवं इस विषय पर समय-समय पर सरकारी दिशा निर्देशों के अधीन, भाविप्रा अल्पावधि/ दीर्घावधि पर अधिशेष निधियों को निवेश कर सकता है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा ।
- 1.35 **उधार:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 27 के प्रावधानों और इस विषय पर समय-समय पर सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन, भाविप्रा किसी भी स्रोत से बांड/डिबेंचर आदि जारी करके या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से अन्यथा ऐसी राशि जो समय-समय पर आवश्यक हो, धन उधार ले सकता है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।
- 1.36 निगमित मुख्यालय के संबंध में पूंजी/एआरएमओ कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी इंजीनियर, "फील्ड इंजीनियरों" को प्रत्यायोजित शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- 1.37 जहां विभाग विशेष से संबन्धित कार्यपालक निदेशक उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उन प्रशासनिक कार्यपालक निदेशकों द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनके अधीन सभी प्रशासनिक मामलों के लिए उक्त विभागों को रखा गया है।
- 1.38 अतिरिक्त सामग्री/विभिन्नताओं का प्रयोग उसी साइट/परियोजना के लिए किया जाए। किसी भी अन्य साइट/स्टेशन/परियोजना पर किसी भी अलग/अतिरिक्त मद को कार्य के स्वीकृत कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त/परिवर्तन के रूप में माना जाएगा। वित्तीय निहितार्थ सहित या रहित किसी भी कार्य के दायरे में परिवर्तन हेतु मूल एएण्ड ईएस प्राधिकारी से अनुमोदन अपेक्षित होगा ।
- 1.39 डीओपी में इंगित वित्तीय शक्तियाँ जीएसटी और अन्य सभी करों/शुल्कों आदि सहित कुल वित्तीय निहितार्थ को दर्शाती हैं ।
- 1.40 पुणे, त्रिवेंद्रम और गोवा के विनि या समय-समय पर तय किया गया कोई भी अन्य हवाईअड्डा, जो वर्तमान में ग्रेड-II स्तर का हवाईअड्डा है, विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I

हवाईअड्डों के विमानपतन निदेशकों को प्रत्यायोजित समान वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। हालांकि, गैर-कार्यपालकों की पोस्टिंग आदि के मामले में प्रशासनिक सहायता लागू डीओपी के अनुसार संबंधित क्षे.का.नि. के पास ही रहेगी।

**1.41 जेम (GeM) के माध्यम से कार्य प्रदान करना :** भारत सरकार/भाविप्रा नियमावली/समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जेम पर उपलब्ध सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी जा सकती है। जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई सामग्री को खुली निविदा के माध्यम से की गई खरीद के समान ही माना जाएगा और इसलिए वही शक्तियाँ शामिल होंगी जो खुली निविदा के माध्यम से खरीद के लिए लागू होती हैं। क्रय प्राधिकारी स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करेगा कि चयनित प्रस्ताव की कीमत उचित है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही जेम के माध्यम से अनुबंध को प्रदान किया जाए। अनुबंध की शर्तों को समय-समय पर जेम पोर्टल में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।

**1.42 एकल निविदा:** विज्ञापित/सीमित निविदा मामलों में, भाविप्रा को कभी-कभी पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं होती और/या बोलियों की जांच करने के बाद, केवल एक बोली सही पाई जाती है - ऐसी स्थिति को 'एकल प्रस्ताव' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

'एकल प्रस्ताव' की ऐसी स्थिति को एकल निविदा के रूप में माना जाना चाहिए। अनुबंध को 'एकल प्रस्ताव' बोलीदाता आधार पर दिया जा सकता है, बशर्ते उद्धृत मूल्य उचित हो।

हालांकि, खरीद के एकल निविदा प्रकार की प्रतिबंधित शक्तियाँ लागू होंगी।

पुनर्निविदा करने से पहले, भाविप्रा सबसे पहले यह जांच करेगा कि क्या जांच आरंभ/जारी करते समय, सभी जरूरी आवश्यकताओं और औपचारिकताओं जैसे मानक शर्तें, उद्योग के अनुकूल विनिर्देश, व्यापक प्रचार, बोली लगाने के लिए पर्याप्त समय, और ऐसी अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। यदि नहीं, तो कमियों को दूर करने के बाद नए सिरे से जांच की जाएगी। यहां तक कि जब केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जाती है तो प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

- (ii) खरीद को संतोषजनक ढंग से विज्ञापित किया गया था और बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था;
- (ii) योग्यता मानदंड अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं थे; और
- (iii) बाजार मूल्यों की तुलना में कीमतें उचित हैं

हालांकि, खरीद के एकल निविदा प्रकार की प्रतिबंधित शक्तियाँ लागू होंगी। कीमत उचित न होने पर, न्यायसंगतता के अनुसार मोलभाव (एल-1 होने के नाते) या पुनर्निविदा पर विचार किया जा सकता है। एलटीई पर अवांछित प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जाए। तथापि, संबंधित निदेशालयों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिसके द्वारा इच्छुक फ़र्म निविदा के अगले दौर में सूचीबद्ध हो सकें और बोली लगा सकें।

**ध्यान दें:** उपरोक्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के 'कार्यों की खरीद हेतु नियमावली- 2019' के अनुसार है।

- 1.43 डीओपी में इंगित सभी वित्तीय शक्तियाँ प्रति संदर्भ आधार पर हैं जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।
- 1.44 प्रशासनिक संबंधी अन्य विचाराधीन कार्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अध्यक्ष किसी भी अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग को यहाँ सौंपी गई शक्तियों को संशोधित, बदलने या वापिस लेने का लिखित आदेश दे सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन, परिवर्तन या प्रत्यायोजन की वापसी को बोर्ड द्वारा यथासमय अनुमोदित कर दिया जाए।
- 1.45 डीओपी की व्याख्या के संबंध में किसी भी मतभेद के मामले में अध्यक्ष को सदस्य (वित्त) के साथ परामर्श करके व्याख्या पर निर्णय लेने के लिए, अंतिम माना जाएगा ।
- 1.46 अध्यक्ष के पास बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों की शक्तियों के प्रत्यायोजन में सुधार करने का अधिकार है।



## अध्याय-2

**मानव संसाधन प्रबंधन (म.सं.प्र.)**

**मामलों से संबंधित शक्तियाँ**

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-2**

**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.1	वेतन संरचना और सेवा शर्तें: कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सभी मामले वेतन/ वेतन संरचना, परिलब्धियाँ, अनुलाभ आदि और आर एंड पी नियम, टीए/डीए नियम, एलटीसी नियमों से संबंधित सेवा शर्तें	---	---	---	---	---	---	---	---	---	शक्तियाँ भाविप्रा बोर्ड में निहित हैं।
2.2 (ए)	पदों का सृजन/समाप्ति	कार्मिक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर ई-6 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - कार्मिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वर्ग 'ख' और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	डीपीई के अनुसार, ई -7 और इससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के लिए शक्तियों को सृजित करने की शक्तियाँ नागर विमानन मंत्रालय के पास हैं।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-2**

**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.2 (बी)	पदों का इंटर-डिसिप्लिन स्थानांतरण	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - अपने क्षेत्र के अंदर वर्ग 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ। ऐसे स्थानांतरण में मुख्यालय को सूचना दी जानी चाहिए।	***	***	***	***	(i) ड्यूटीज़ में परिवर्तन के कारण सृजित अतिरिक्त कर्मचारियों के मामले में समान डिसिप्लिन के अंदर पदों का स्थानांतरण और इंटर-डिसिप्लिनरी स्थानांतरण। ***(ii) इस पैरा में निम्नलिखित को छोड़कर, स्टेशन के अंतर्गत अंतर-विभागीय कार्यकारी स्थानांतरण के लिए विमानपत्तन निदेशक की पूर्ण शक्तियाँ शामिल हैं: (ए) फायर और एनएस से किसी विभाग में स्थानांतरण नहीं। (बी) वित्त से वाणिज्य और वाणिज्य से वित्त में कोई स्थानांतरण नहीं। (सी) मानव संसाधन से वित्त और वित्त से मानव संसाधन में कोई स्थानांतरण नहीं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.3 (ए)	नियुक्तियाँ/पदोन्नति/कार्यभार-ग्रहण/स्थानांतरण/पुष्टिकरण										
	(i) नियुक्ति	सभी कर्मचारियों (वर्ग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ') के लिए पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - वर्ग 'ख' और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों सहित ई -4 स्तर तक के सभी कार्यपालकों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय और अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ख' (गैर-कार्यपालक), 'ग' और 'घ' के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी वर्ग 'ख' (गैर-कार्यपालक), 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	आरएंडपी दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों/अन्य हवाई-अड्डों पर उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को वर्ग 'घ' कर्मचारियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है।
	(ii) पदोन्नतियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय में सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष के परामर्श से।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक गेड-I	विमानपत्तन निदेशक गेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक गेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक गेड-IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
(ii)	(ए) पदोन्नतियाँ: पुराने पद पर प्रत्यावर्तन	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय में सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष के परामर्श से।
(iii)	नई भर्ती पर कार्यभार-ग्रहण करने के समय का विस्तार	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - वर्ग 'ख' और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों सहित ई-5 स्तर तक की पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय में वर्ग 'ख' (गैर-कार्यपालक), 'ग' और 'घ' के लिए और अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए 3 महीने तक की शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी वर्ग 'ख' (गैर-कार्यपालक), 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए 3 महीने तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष के परामर्श से और आर एंड पी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-2**

**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबंधक	
(iv)	कर्मचारियों का स्थानांतरण	पूर्ण शक्तियाँ	ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय में सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	स्थानान्तरण नीति के अनुसार एवं संबंधित विभाग-प्रमुख एवं स्थानान्तरण समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार।
(v)	स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने के समय का विस्तार	पूर्ण शक्तियाँ	ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय में सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित विभाग-प्रमुख की अनुशंसा पर।
(vi)	पुष्टिकरण	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-8 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर।
(vii)	परिवीक्षा का विस्तार	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-8 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी गैर-कार्यपालक पदों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपतन निदेशक ग्रेड-1	विमानपतन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपतन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपतन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.3 (बी)	कर्मचारी की भर्ती और पदोन्नति के लिए विशेष मामलों में आयु , योग्यता, अनुभव, शारीरिक मानकों और चिकित्सा स्वस्थता संबंधी छूट	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	आर एंड पी दिशा-निर्देशों के खंड 36 के अनुसार।
2.3 (सी)	त्याग-पत्र की स्वीकृति/ वापसी/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - ई-3 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - सभी वर्ग 'ख' (गैर-कार्यपालक), 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	त्याग-पत्र की वापसी/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के लिए संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर, स्वीकृति के बाद लेकिन सेवा से कार्यमुक्त होने से पहले।
2.4	प्रारंभिक नियुक्ति पर अतिरिक्त वेतन- वृद्धि प्रदान करने की शक्तियाँ	5 वेतन वृद्धि तक की शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई -3 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए 5 वेतन - वृद्धि तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारियों को विशेष मामलों में, निर्दिष्ट सीमा के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करके, उच्च प्रारंभिक वेतन तय करने का अधिकार है। पद के लिए ऐसी अतिरिक्त वेतन-वृद्धि किसी भी स्थिति में लागू समय मान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबंधक	
2.5	स्वीकृत पदों के संबंध में कार्यवाहक/व्यवस्था संभालना	कार्यपालक निदेशक और समकक्ष के लिए पूर्ण शक्तियाँ	महाप्रबंधक स्तर और समकक्ष और नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए शक्तियाँ	---	---	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक के परामर्श से उप महाप्रबंधक स्तर और समकक्ष तक की शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक के परामर्श से वरिष्ठ प्रबंधक स्तर तथा समकक्ष तक की शक्तियाँ।	---	---	---	<p>आर एंड पी दिशा-निर्देशों के अनुसार मोटे तौर पर, कर्मचारी को कार्यवाहक पद धारण करने के लिए पात्र होना चाहिए</p> <p>पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, 2 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है, जहाँ पात्रता विनिर्देश 5 वर्ष हैं, और 1 वर्ष तक की छूट 3 वर्ष के विनिर्देशों के लिए दी जा सकती है, और दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।</p> <p>(i) कार्यवाहक व्यवस्था का अर्थ है आधिकारिक क्षमता में कार्य करना, अस्थायी रूप से किसी पद को भरना। सही रूप में, जहाँ एक अधिकारी पहले से ही अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त उसी कार्यालय में और उसी केंद्र लाइन अथवा पदोन्नति में उच्च पद के कर्तव्यों का प्रभार धारण करने के लिए मूल या अस्थायी रूप में एक पद धारण कर रहा है। अथवा जहाँ एक अधिकारी को किसी अन्य पद या पदों, जो एक ही कार्यालय में हैं या नहीं हैं, अथवा जो एक ही कार्यालय में, अथवा पदोन्नति के समान संवर्ग लाइन में हैं अथवा नहीं हैं, का प्रभार संभालने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है।</p> <p>(ii) लुक आफ्टर चार्ज का अर्थ है, जिसके द्वारा पहले से ही मूल या अस्थायी क्षमता में एक पद धारण करने वाले अधिकारी को औपचारिक रूप से अपने</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
											<p>स्वयं के कर्तव्यों के अलावा अस्थायी उपाय के रूप में किसी अन्य पद के वर्तमान कर्तव्यों/प्रभारों को देखने के लिए कहा जाता है, जो एक ही कार्यालय में है या नहीं, या जो एक ही कार्यालय में एक ही संवर्ग/पदोन्नति की पंक्ति में है या नहीं। नियुक्ति के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी पद के नियमित पदधारी में निहित प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।</p> <p>(iii) सभी कार्यवाहक/कार्यभार की व्यवस्था के बारे में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) को सूचित किया जाएगा। उप महाप्रबंधक स्तर और उससे नीचे के स्तर के लिए सदस्य (मानव संसाधन ) के अनुमोदन और उप महाप्रबंधक से ऊपर व कार्यपालक निदेशक तक अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना कोई भी कार्यवाहक व्यवस्था 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी।</p> <p>(iv) कार्यवाहक/देखभाल करने वाली व्यवस्था को नियमित पदोन्नति से पूरी तरह अलग माना जाएगा। कार्यवाहक अधिकारी नियमित पदोन्नति के लिए किसी अतिरिक्त प्रतिफल/दावे के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(v) दंड भुगत रहे अधिकारियों (निंदा को छोड़कर बड़ी अथवा छोटी) को कार्यवाहक/कार्यभार संभालने के लिए विचाराधीन नहीं रखा जाएगा ।</p>

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-2**

**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबंधक	
2.6	कर्मचारियों को ओवरटाइम की मंजूरी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	नीति/दिशा-निर्देशों के अनुसार
2.7 (ए)	असाधारण अवकाश (ईओएल) प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - समिति की सिफारिश पर एक वर्ष में 60 दिनों से अधिक के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में 60 दिन तक के लिए शक्तियाँ	---	क्षेत्र/हवाईअड्डों पर तैनात कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में 60 दिन तक के लिए शक्तियाँ	---	---	---	---	सीएचआरएम परिपत्र संख्या 43/2011, 02/2018 और समय-समय पर जारी किसी भी अनुवर्ती आदेश के अनुसार।
2.7 (बी)	विशेष निःशक्तता अवकाश प्रदान करना	उपर्युक्त पैरा 2.3(ए)(i) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्ण शक्तियाँ									छुट्टी विनियमों और समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अनुवर्ती आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
2.7 (सी)	अध्ययन अवकाश प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	संबंधित सदस्य की अनुशंसा पर छुट्टी विनियमों और समय-समय पर जारी किसी भी अनुवर्ती आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-2

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.8	एलटीसी की मंजूरी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	विषय संबंधी नीति पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन और प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
2.9	कर्मचारियों को बिना किसी शुल्क या मानदेय के बाहर के कार्य ग्रहण करने की अनुमति देना	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-9 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - सभी गैर-कार्यपालकों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर।
2.10 (ए)	इन-हाउस कार्यक्रमों सहित भारत में सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकन	पूर्ण शक्तियाँ	उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	ई -7 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन।
2.10 (बी)	विदेश में सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकन	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	
2.11	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	कानूनी सहमति की आवश्यकता है।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-2**

**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
2.12	अनुमतियाँ:										
(ए)	अपने खर्चे पर विदेश यात्रा करने के लिए	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-9 और नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - निगमित मुख्यालय में तैनात ई-7 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षेत्र/हवाईअड्डों पर तैनात ई-7 तथा इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	
(बी)	बाहरी रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - संबंधित सदस्य के परामर्श से ई-6 और इससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ, सिवाय उस स्थिति के जहाँ व्यक्ति बांड के अधीन है।	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - ई-5 और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ, सिवाय उस स्थिति के जहाँ व्यक्ति बांड के अधीन है।	---	ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ, सिवाय उस स्थिति के जहाँ व्यक्ति बांड के अधीन है	---	---	---	---	
(सी)	लियन प्रदान किया जाना	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मानव संसाधन) - ई-5 और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) - सभी कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष तक का लियन प्रदान करने की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	नीति के अनुसार, सामान्य सेवा शर्तों और समय-समय पर जारी किसी भी अनुवर्ती आदेशों के अनुसार संबंधित सदस्य/कार्यपालक निदेशक के परामर्श से।



अध्याय-3

# प्रशासन मामलों से संबंधित शक्तियाँ

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय 3**

**प्रशासन मामले**

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
3.1 (ए)	दौरे का प्राधिकार देना : भारत में	पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ (जहाँ संबंधित महाप्रबंधक सीधे पूर्णकालिक सदस्य को रिपोर्ट कर रहे हैं)	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	(i) सहायक महाप्रबंधक और इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में भारत के अंदर दौरे के लिए पूर्ण शक्तियाँ (ii) उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के संबंध में स्टेशन से क्षेत्रीय मुख्यालय तक दौरा करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के संबंध में स्टेशन से क्षेत्रीय मुख्यालय तक के दौरे के लिए पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के संबंध में स्टेशन से क्षेत्रीय मुख्यालय तक के दौरे के लिए पूर्ण शक्तियाँ	उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के संबंध में स्टेशन से क्षेत्रीय मुख्यालय तक के दौरे के लिए पूर्ण शक्तियाँ	
3.1 (बी)	अंतर्देशीय दौरे के लिए टीए/डीए अग्रिम	पूर्ण शक्तियाँ (निर्धारित सीमा से अधिक शक्तियाँ सहित)	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	दौरे, जो उनके द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं, के लिए टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 3

प्रशासन मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित कार्यपालक निदेशक	निगमित मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहायक महाप्रबंधक/ संबन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक	
3.1 (सी)	अपात्र कर्मचारियों के लिए दौरे पर हवाई यात्रा की मंजूरी की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	उक्त पैरा 3.1 (ए) के अंतर्गत उनके नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	
3.2 (ए)	दौरो का प्राधिकार: विदेश	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	(i) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और सीवीओ को सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विदेश के सभी दौरो के संबंध में संबन्धित विभाग की सिफारिश पर मानव संसाधन विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।
3.2 (बी)	विदेशी दौरो के लिए टीए/डीए अग्रिम	टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	टीए/डीए नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	विदेशी यात्रा संबंधी टीए/डीए की प्राप्ति बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार मुख्यालय/क्षेत्र के उस संबंधित कार्यालय से की जाएगी जहाँ से कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है।
3.3	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	चिकित्सा उपस्थिति नियमों के अनुसार.
3.3 (ए)	भाविप्रा के कामिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (मा. सं/प्रशासन) - पूर्ण शक्तियाँ	---	महाप्रबंधक (मा.सं.) - पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	संशोधित चिकित्सा नीति में परिभाषित शर्तों के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के भाविप्रा कर्मचारियों के लिए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 3

प्रशासन मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	नि.मु. में संबंधित महाप्रबंधक	क्षे.का.नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप- महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/ सहायक महाप्रबंधक/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
3.3 (बी)	गैर पैनल अस्पताल में लिए गए उपचार के दावों की प्रतिपूर्ति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन)/ कार्य.नि. (एफआईयू) - रु 1 लाख तक के प्रत्येक मामले के लिए शक्तियाँ	---	रु 1 लाख तक के प्रत्येक मामले के लिए शक्तियाँ	---	---	---	---	चिकित्सा समिति और आगे समय-समय पर जारी निर्देशों के माध्यम से ।
3.4	चिकित्सा उपस्थिति नियमों में छूट	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	चिकित्सा उपस्थिति नियमावली के खण्ड 20 के अनुसार छूट देने की शक्ति अध्यक्ष के पास रहती है।
3.5	अस्पतालों/होटलों को पैनल में रखना	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मा.सं.) - पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन) - पूर्ण शक्तियाँ	---	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार।
3.6	विदेश में इलाज को छोड़कर चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन) - रु 2 लाख प्रति संदर्भ तक की शक्तियाँ । दुर्घटना से संबंधित मामलों में, प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ।	---	रु 2 लाख प्रति संदर्भ तक की शक्तियाँ । दुर्घटना से संबंधित मामलों में प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ।	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 3

प्रशासन मामले

क्र.सं	शक्ति के प्रकार	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	नि.मु. में संबंधित महाप्रबंधक	क्षे.का.नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/ संबंधित उप- महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/ सहायक महाप्रबंधक/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
3.7	गृह निर्माण अग्रिम, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और कंप्यूटर ऋण की मंजूरी।	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मा.सं.) - पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन) - पूर्ण शक्तियाँ	महाप्रबंधक (प्रशासन) - पूर्ण शक्तियाँ	(i) पूर्ण शक्तियाँ (ii) महाप्रबंधक (मा.सं.) - क्षेत्रीय कार्यालयों /स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ।	स.म.प्र (मा.सं.) एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी - स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ; जहां स.म.प्र(मा.सं.) तैनात नहीं है, संबंधित विमानपत्तन निदेशक मानव संसाधन निदेशालय की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग करेंगे।	---	---	---	मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और फंड की उपलब्धता के आधार पर।
3.8	किसी भी वित्तीय आपात स्थिति से निपटने के लिए वेतन पर ब्याज मुक्त अग्रिम देना ( वित्तीय वर्ष में एक महीने के मूल वेतन + डी.ए.के बराबर)	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मा.सं.) - पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन) - पूर्ण शक्तियाँ	---	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	इस संबंध में जारी नियमों और विनियमों के अनुसार।।
3.9	प्राकृतिक आपदा अग्रिम प्रदान करना।	पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य (मा.सं.) - प्रति वर्ष रु. 500 लाख तक की शक्तियाँ	कार्य.नि. (मा.सं.) - प्रति वर्ष रु. 25 लाख तक की शक्तियाँ	---	प्रति वर्ष रु. 25 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	इस संबंध में जारी नियमों और विनियमों के अनुसार।।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 3

प्रशासन मामले

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	नि.मु. में संबंधित महाप्रबंधक	क्षे.का.नि/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/संबंधित उप-महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/सहायक महाप्रबंधक/संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
3.10	कर्मचारी कल्याण व्यय: कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय की मंजूरी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	कार्य.नि. (प्रशासन) - प्रति घटना/मामला रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	---	प्रति घटना/मामला रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति घटना/मामला रु 0.30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति घटना/मामला रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति घटना/मामला रु 0.20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति घटना/मामला रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	
3.11	कर्मचारियों की वर्दी: सीमा के संबंध में यहां किए गए उल्लेख और नीति तथा अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार कर्मचारियों की वर्दी की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	मानव संसाधन निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार खरीद सलाहकार समिति (पीएसी) की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	---	---	मानव संसाधन निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार आरएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ ।	---	---	---	---	
3.12	कल्याण अनुबंधों के लिए अप्रयुक्त टाइप-बी एएआई क्वार्टरों का आबंटन ।	---	---	---	---	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	(i) मानव संसाधन निदेशालय द्वारा इस संबंध में परिपत्रित नीति के अनुसार।  (ii) कल्याण अनुबंध यथा मिल्क बूथ, किराने की दुकान, केबल टीवी, आदि। आबंटन की प्रक्रिया, लाइसेंस शुल्क प्रभार, अनुबंध की अवधि आदि का निर्णय मानव संसाधन नीति के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित क्षे.का.नि. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।



अध्याय-4

# राजस्व अर्जन प्रस्तावों से संबंधित शक्तियाँ

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	क्षे.का.नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV / संबंधित उप-महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/ सहायक महाप्रबंधक/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
4.1 (ए)	पट्टे पर/लाइसेंस पर भूमि का आबंटन और उसका नवीनीकरण	---	---	---	---	---	---	---	---	<p>(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और अधिनियम के अध्याय III के तहत कार्यों के निर्वहन के लिए समय-समय पर किए गए किसी भी संशोधन के अधीन, भाविप्रा बोर्ड के पास पूर्ण शक्तियाँ होंगी।</p> <p>(ii) अन्य मामलों में, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।</p>
4.1 (बी)	विनिमय, स्थायी हस्तांतरण और भूमि को संरेडर करना।	---	---	---	---	---	---	---	---	<p>(i) भाविप्रा बोर्ड के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और समय-समय पर उसके किसी भी संशोधन और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन पूर्ण शक्तियाँ होंगी।</p> <p>(ii) स्थायी हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी के लंबित रहने तक सरकारी एजेंसियों को बोर्ड के अनुमोदन से कार्य करने की मंजूरी दी जा सकती है।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	क्षे.का.नि/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV / संबंधित उप-महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/ सहायक महाप्रबंधक/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
4.1 (सी)	आपरेटरों/एयरलाइंस (अनुसूचित/गैर-अनुसूचित)/ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों/विमान रखरखाव एजेंसियों/तेल कंपनियों को लाइन रखरखाव/इंजीनियरिंग सुविधा, पोर्टा केबिनो के प्लेसमेंट/उपकरणों/डॉली/ट्रॉली/ऑयल बोजर की पार्किंग/लाइसेंस पर मोबाइल स्टोरेज और उसके नवीनीकरण के लिए परिचालन क्षेत्र में निर्मित स्थान, पक्की सतह या भूमि का आबंटन/नवीकरण ।	15 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	10 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	---	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 7 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	---	(i) पहली बार भूमि का आबंटन योजना/प्रचालन निदेशालय के पूर्वानुमोदन पर आधारित होगा।  (ii) टर्मिनल बिल्डिंग/सिटी साइड में निर्मित स्थान का नियंत्रण वाणिज्यिक निदेशालय के पास जारी रहेगा।
4.1 (डी)	(i) क्यूट (CUTE) सिस्टम के तहत काउंटरों का आबंटन (ii) चेक-इन-काउंटर (एयरलाइंस के लिए) (iii) खाली बिल्ट-अप स्पेस (एयरलाइंस के लिए) (iv) राज्य सरकार के लिए टर्मिनल भवन में आच्छादित स्थान का आबंटन (v) ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए आच्छादित स्थान का आबंटन (vi) पोर्टा केबिनो का आबंटन (vii) ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों के लिए पार्किंग की जगह	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	5 वर्ष तक की शक्तियाँ					---	इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	क्षे.का.नि./प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV / संबंधित उप-महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/सहायक महाप्रबंधक/संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
	(viii) नियामक एजेंसियों, सरकारी विभागों/पर्यटन मंत्रालय विभाग, तेल कंपनियों, अनुसूचित/गैर-अनुसूचित एयरलाइंस को कार्यालय/बने हुए स्थान का आबंटन एवं उसका नवीनीकरण।									
4.2	नए हवाईअड्डे के निर्माण और मौजूदा हवाईअड्डे के विकास/विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण।	सम्पूर्ण शक्तियाँ- बशर्ते कि संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो प्रचलित है, के प्रावधानों के अधीन यदि भाविप्रा को भूमि निःशुल्क आधार पर प्रदान की गई है और भार मुक्त है।	---	---	---	---	---	---	---	(i) भाविप्रा बोर्ड के पास लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकारों के माध्यम से भुगतान के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्ण शक्तियाँ होंगी।  (ii) निः शुल्क आधार पर भूमि अधिग्रहण की जानकारी भूमि प्रबंधन निदेशालय द्वारा तिमाही आधार पर भाविप्रा बोर्ड को दी जाएगी।
4.3 (ए)	मौजूदा सुविधा के लिए न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क (एमआरएलएफ)/न्यूनतम वार्षिक गारंटी (एमएजी) का निर्धारण	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	एमआरएलएफ/एमएजी की गणना समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
4.3 (बी)	नई सुविधा के लिए न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क (एमआरएलएफ)/न्यूनतम वार्षिक गारंटी (एमएजी) का निर्धारण	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षे.का.नि. - ग्रेड III और IV हवाई- अड्डों के लिए पूर्ण शक्तियाँ; विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I - पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	---	(i) नई सुविधाओं के लिए एमआरएलएफ के निर्धारण हेतु।  (ii) एमआरएलएफ/एमएजी की गणना समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	नि.मु. में संबंधित कार्यपालक निदेशक	क्षे.का.नि/प्रधानाचार्य सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक- ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II/संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/संबंधित उप-महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी/सहायक महाप्रबंधक/संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
4.3 (सी)	एमआरएलएफ में कटौती	पूर्ण शक्तियाँ	क्षे.का.नि/एपीडी - ग्रेड-I की अनुशंसा पर पूर्ण शक्तियाँ	---	क्षे.का.नि. - ग्रेड II, III और IV हवाईअड्डों के लिए पहली बार 30% तक की कटौती के लिए पूर्ण शक्तियाँ; एपीडी ग्रेड-I एमआरएलएफ में कटौती का प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	एमआरएलएफ में पहली कटौती का प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	एमआरएलएफ में पहली कटौती का प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	एमआरएलएफ में पहली कटौती का प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	---	(i) एमआरएलएफ में प्रस्तावित कटौती का औचित्य भली प्रकार से फाईल में दर्ज होना चाहिए। (ii) पहली कटौती केवल 30% तक की ही हो सकती है। इसके बाद की कटौतियों को निगमित मुख्यालय के अगले उच्च प्राधिकारी अर्थात् - सदस्य या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। (iii) एमआरएलएफ/एमएजी की गणना समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
4.4	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/आरएफक्यू/आरएफपी/ईओआई आदि का अनुमोदन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अधीन।
4.5	हवाईअड्डों पर ट्रेडिंग रियायतें या कोई राजस्व अर्जन अनुबंध देना।									
(ए)	प्रतिस्पर्धी बोली (एकल निविदा के परिणामस्वरूप नहीं) और एमआरएलएफ की 110 प्रतिशत से अधिक उद्धृत राशि के मामले में।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित का.नि	क्षे.का.नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी /वि.नि ग्रेड-1	वि.नि ग्रेड-II/ संबंधित म.प्र .	वि.नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म.प्र .	वि.नि ग्रेड-IV/ संबंधित उ.प्र .म .	प्रभारी अधिकारी/स. म . प्र./संबंधित व. प्र.	
(बी)	एकल निविदा या एमआरएलएफ के 100%-110%के बीच उद्धृत राशि के मामले में।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	ग्रेड II, III और IV. हवाईअड्डों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	(i) विज्ञापित/सीमित निविदा मामलों में भाविप्रा कभी-कभी पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं कर पाता है और/या बोलियों का विश्लेषण करने के बाद अंत में केवल एक बोली ही रह जाती है - इस स्थिति को 'एकल प्रस्ताव' कहा जाता है। सिंगल ऑफर की ऐसी स्थिति को सिंगल टेंडर माना जाएगा।  (ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया/ एकल योग्य बोली को कवर करता है।
(सी)	कोई अन्य राजस्व अर्जन अनुबंध अवार्ड करना। (एमआरएलएफ/एमएजी के बिना)	सीएबी/ओएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	सीएसी/ओएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	---	आरएसी की सिफारिश पर ग्रेड II, III और IV . हवाईअड्डों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित का.नि.	क्षे.का.नि/प्रधानाचार्य सीएटीसी/वि.नि ग्रेड-1	वि.नि ग्रेड-II/संबंधित म.प्र.	वि.नि ग्रेड-III/संबंधित संयुक्त म.प्र.	वि.नि ग्रेड-IV/संबंधित उ.प्र.म.	प्रभारी अधिकारी/स.म.प्र./संबंधित व.प्र.	
4.6 (ए)	नवोन्मेषी वाणिज्यिक गतिविधियाँ (ऐसी गतिविधियाँ जो अलग से संबंधित नियमावली में शामिल नहीं हैं)	पूर्ण शक्तियाँ, हालांकि, रु 15 करोड़, से अधिक के अनुबंधों के लिए वाणिज्यिक सलाहकार बोर्ड (सीएबी)/प्रचालन सलाहकार बोर्ड (ओएबी) की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।	रु 10 करोड़ तक की शक्ति, हालांकि, रु 7 करोड़ से अधिक के अनुबंधों के लिए वाणिज्यिक सलाहकार समिति (सीएसी)/प्रचालन सलाहकार समिति (ओएसी) की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।	---	12 महीने की अवधि के लिए संविदा अवार्ड करने की शक्तियाँ, जिनका संविदा मूल्य प्रति वर्ष रु 1 करोड़ से अधिक न हो।	12 महीने की अवधि के लिए संविदा अवार्ड करने की शक्तियाँ, जिनका संविदा मूल्य प्रति वर्ष रु 50 लाख से अधिक न हो।	12 महीने की अवधि के लिए संविदा अवार्ड करने की शक्तियाँ, जिनका संविदा मूल्य प्रति वर्ष रु 35 लाख से अधिक न हो।	---	---	वि.नि. को प्रयोगिक गतिविधि के परिणाम से संबन्धित अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसके आधार पर मुख्यालय नवाचार को बढ़ाने और उसे संबंधित मैन्युअल के हिस्से के रूप में शामिल करने के बारे में निर्णय लेगा।
4.6 (बी)	आकस्मिक सेवाओं के लिए स्टॉप गैप व्यवस्था के आधार पर अल्पकालिक निविदा अवार्ड करना और उसका विस्तार	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ		12 महीने की अवधि तक की संचयी शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	---	समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुसार.
4.6 (सी)	अल्पकालिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	12 महीने की संचयी अवधि तक की शक्तियाँ	6 महीने तक की शक्तियाँ	6 महीने तक की शक्तियाँ	6 महीने तक की शक्तियाँ	---	समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार
4.7	नियमित अनुबंध को अंतिम रूप न देने के मामले में विस्तार	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ		12 महीने की अवधि तक की संचयी शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	3 महीने तक की शक्तियाँ	---	यह पैरा केवल सामान्य नियमित अनुबंध के विस्तार के लिए लागू होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन											
अध्याय 4											
राजस्व अर्जन प्रस्ताव											
क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ	
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित का.नि.	क्ष.का.नि/प्रधानाचार्य सीएटीसी /वि.नि ग्रेड-1	वि.नि ग्रेड-II/ संबंधित म.प्र.	वि.नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म.प्र.	वि.नि ग्रेड-IV/ संबंधित उ.प्र. म.	प्रभारी अधिकारी/स. म. प्र./संबंधित व. प्र.		
4.8	टोकन लाइसेंस शुल्क पर सौंदर्यीकरण की अनुमति/अधिकार प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	समिति की सिफारिशों पर (प्रत्येक मामले में) 10 वर्षों में न्यूनतम रु 150 लाख निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ 10 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ (**)	---	समिति की सिफारिशों पर (प्रत्येक मामले में) 5 वर्षों में न्यूनतम रु 50 लाख निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ 5 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ (**)	प्रत्येक मामले में 3 वर्षों में न्यूनतम रु 25 लाख निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ 3 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ (**)				---	(i) उक्त पैरा को इस विषय पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाए।  (ii) (**) समिति में क्षे.का.नि./वि.नि. ग्रेड I, विभागाध्यक्ष (वास्तु./योजना) और भू.प्र.निदेशालय के विभागाध्यक्ष शामिल हैं।
4.9	निर्धारित लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टी, अन्य प्रभारों आदि के भुगतान पर क्यूट (CUTE) परियोजना/आरएफ एंटीना/एटीएम मशीनों के लिए अर्थिंग पिट/एंटीना(&) की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना।	पूर्ण शक्तियाँ	7 साल तक की शक्तियाँ		क्षे.का.नि. और वि.नि. (का.नि. स्तर): क्षेत्र जो 01 वर्गमीटर से अधिक न हो, के लिए, स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर, एक बार में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।	क्षेत्र जो 01 वर्गमीटर से अधिक न हो, के लिए, स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर, एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।	क्षेत्र जो 01 वर्गमीटर से अधिक न हो, के लिए, स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर, एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।	क्षेत्र जो 01 वर्गमीटर से अधिक न हो, के लिए, स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर, एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।		---	(&) यह इस शर्त के अधीन है कि जिन एजेंसियों ने ऐसी सुविधा के लिए अनुरोध किया था, उन्हें पहले ही टर्मिनल भवन में निर्मित स्थान आबंटित किया जा चुका है एवं इस तथ्य के कारण कि टर्मिनल भवनों की छत पर एंटीना नहीं लगाया जा सकता है। इस तथ्य के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है। ऐसी "अनुमति के देने" की अवधि को टर्मिनल भवन में आबंटित स्थान की अवधि के लिए सह-टर्मिनस बनाया जाए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 4

राजस्व अर्जन प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	निगमित मुख्यालय में संबंधित का.नि .	क्षं.का.नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी /वि.नि ग्रेड-1	वि.नि ग्रेड-II/ संबंधित म.प्र .	वि.नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म.प्र .	वि.नि ग्रेड-IV/ संबंधित उ.प्र .म .	प्रभारी अधिकारी/स.म. प्र./संबंधित व. प्र.	
4.10	एलएआर/एलएओपी मामले - न्यायालयों के आदेश पर बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	प्रति वर्ष रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	--	--	1 ऐसे भुगतान अपील आदि के निर्णय के अधीन होंगे ।  2 प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी बढ़े हुए मुआवजे के विवरण को समेकित किया जाएगा और सूचना के लिए भा.वि.प्रा. बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
4.11	केंद्र सरकार/राज्य सरकार और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों के लिए वाणिज्यिक शुल्क को छोड़ना /छूट।	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार.



अध्याय-5

# कानूनी मामलों से संबंधित शक्तियाँ

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय - 5**

**कानूनी मामले**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग प्रमुख	सम्बंधित महाप्रबंधक	क्षे का नि /प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि.नि. ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड II/सम्बंधित म.प्र.	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/सम्बंधित सं.म.प्र.	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-IV/सम्बंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/संबंधित/प्र.म. व. प्र.	
5.1	<b>कानूनी कार्यवाही</b> : न्यायालय, फोरम और किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत / मुकदमा चलाना या बचाव करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	
5.2	<b>अदालत के बाहर निपटान</b> : समझौता करने की मंजूरी, अदालत के बाहर मामले का निपटारा, न्यायालय में लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को वापस लेना और प्राधिकरण की ओर से सूचित किए अनुसार, इस तरह के समझौते को स्वीकार करना	विधि सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर रु 20करोड़ तक की शक्तियाँ	विधि सलाहकार समिति की सिफारिश पर रु 10करोड़ तक की शक्तियाँ, जिसकी सूचना अध्यक्ष को दी जाए।	---	---	---	---	---	---	---	---	आरएसी की सिफारिश के आधार पर मामला क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I की सिफारिश के साथ निगमित मुख्यालय को भेजा जाए।
5.3	<b>वकालतनामा</b> : वकील की नियुक्ति के बाद प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	विभागाध्यक्ष और विधि विभाग के अधिकारियों को पूर्ण शक्तियाँ	विभागाध्यक्षों के लिए पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक-पूर्ण शक्तियाँ ; प्रबंधक और उससे उच्च अधिकारी - विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक-पूर्ण शक्तियाँ ; प्रबंधक और उससे उच्च अधिकारी - विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक-पूर्ण शक्तियाँ ; प्रबंधक और उससे उच्च अधिकारी - विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	प्रभारी अधिकारी /सहायक महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक-पूर्ण शक्तियाँ ; प्रबंधक और उससे उच्च अधिकारी-प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	क्षेत्रीय स्तर के लिए , विधि विभाग के अधिकारियों को पूर्ण शक्तियाँ

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय - 5

कानूनी मामले

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ	
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग प्रमुख	सम्बंधित महाप्रबंधक	क्षे का नि /प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि.नि. ग्रेड- 1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड II/सम्बंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड- III/सम्बंधित सं. म.प्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV/ सम्बंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/ स .म. संबंधित/ प्र व. प्र.		
5.4	कानूनी कार्यवाही के अनुसरण में कार्य	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	संबंधित महाप्रबंधक के अनुमोदन से संबंधित विभाग के महाप्रबंधकों, संयुक्त महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबन्धकों, प्रबन्धकों, सहायक प्रबन्धकों को पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक - पूर्ण शक्तियाँ ; प्रबंधक और उच्च अधिकारी -विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक - पूर्ण शक्तियाँ और उच्च स्तर के अधिकारी - विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक- पूर्ण शक्तियाँ और उच्च स्तर के अधिकारी- विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	विमानपत्तन निदेशक- पूर्ण शक्तियाँ और उच्च स्तर के अधिकारी- विमानपत्तन निदेशक के अनुमोदन के साथ पूर्ण शक्तियाँ	प्रभारी अधिकारी /सहायक महाप्रबंधक/ वरिष्ठ प्रबंधक- पूर्ण शक्तियाँ; प्रबंधक और उच्च स्तर के अधिकारी - प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से पूर्ण शक्तियाँ	पैरवी संबंधी कागजातों पर हस्ताक्षर और उनका सत्यापन करना, धन प्राप्त करना, भुगतान प्रमाणित करना, समझौता याचिका दायर करने के लिए याचिका बनाना और प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से, अन्य आवश्यक कार्य करना, जो दर्शाएनुसार किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए अपेक्षित हैं और जिसके लिए उपर्युक्त पैरा 5.1 से 5.3 के तहत सक्षम प्राधिकारी से पहले ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय - 5

कानूनी मामले

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग प्रमुख	सम्बंधित महाप्रबंधक	क्षे का नि /प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि.नि. ग्रेड- 1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड III/सम्बंधित महप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड- III/सम्बंधित सं. म.प्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV/ सम्बंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/ स .म. संबंधित/प्र व. प्र.	
5.5	<b>वकील और मध्यस्थ का शुल्क:</b> दर्शाएनुसार वकील /मध्यस्थ के शुल्क को मंजूरी देना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 8लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 8 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु. 1.50 लाख तक की शक्तियाँ	1. यह उन मामलों पर लागू नहीं होता है जिसमें किसी व्यक्ति पर उस कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी आपराधिक जुर्म का आरोप लगाया जाता है जो ऐसे व्यक्ति का आधिकारिक कार्य नहीं है। 2. वरिष्ठ वकील/मध्यस्थ की नियुक्ति के समय, ऐसे वरिष्ठ वकील/मध्यस्थ को दिया जाने वाला व्यावसायिक शुल्क नियम और शर्तों के साथ अध्यक्ष से अनुमोदित होना चाहिए।
5.6	रिटैरशिप/ विशिष्ट मामला आधार पर वकीलों/ अधिवक्ताओं/ सलाहकारों/ काउंसिल की नियुक्ति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु. 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु.4 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु. 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु.1.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	इस विषय पर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार।
5.7	विवाद समाधान समिति की नियुक्ति	पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय में अनुमोदित अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय में उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर जारी निर्देशों/संबन्धित नियमावली में दिये दिशा-निर्देशों के अनुसार डीआरसी का गठन किया जाए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय - 5

कानूनी मामले

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग प्रमुख	सम्बंधित महाप्रबंधक	क्षे का नि / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि.नि. ग्रेड-1	वि. नि. ग्रेड II/सम्बंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III/सम्बंधित संयुक्त महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड-IV/ सम्बंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/ स .म. संबंधित/ प्र व. प्र.	
5.8	मध्यस्थों की नियुक्ति :अनुबंध समझौते के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति को मंजूरी देना ।	पूर्ण शक्तियाँ	पैनल के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	पैनल के अनुसार उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	पैनल के अनुसार उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	अनुमोदित पैनल से मध्यस्थों के चयन के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार।
5.9	डीआरसी की सिफारिशों की स्वीकृति	प्रत्येक मामले में रु 2500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1000 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	(i)संबंधित निदेशालय की सिफारिशों और विधि निदेशालय की सहमति के साथ। (ii) मामले के गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना ।
5.10	मध्यस्थता निर्णयों की स्वीकृति	प्रत्येक मामले में रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2000 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	प्रत्येक मामले में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	(i) संबंधित निदेशालय की सिफारिशों और विधि निदेशालय की सहमति के साथ । (ii)मामले के गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना ।



## अध्याय-6

**राजस्व मामलों-वैमानिकी  
और हवाईअड्डा प्रभार  
से संबंधित शक्तियाँ**

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय - 6**

**वित्त एवं लेखा - राजस्व - वैमानिकी एवं हवाईअड्डा प्रभार**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सदस्य (वित्त)	का. नि (वित्त)	म.प्र (वित्त)	
6.1	अनुसूचित एयरलाइन/एनएसओपी को ऋण सुविधा प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 10 करोड़ तक की मासिक औसत बिलिंग की शक्तियाँ	रु 5 करोड़ तक की मासिक औसत बिलिंग की शक्तियाँ	स्वीकृत ऋण नीति के अनुसार।
6.2	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सीपीएसयू से प्राप्त विलंबित भुगतान पर ब्याज की छूट	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	
6.3	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / सीपीएसयू से एसडी की छूट	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	
6.4	वैमानिकी /हवाईअड्डा प्रभारों में छूट	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	



अध्याय-7

**संबद्ध सेवाओं सहित  
पूँजीगत वस्तुओं की  
खरीद से संबंधित  
शक्तियाँ**

संबंध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का. नि	संबंधित मप्र	क्ष.का.नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ एपीडी ग्रेड-I	एपीडी ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	एपीडी ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	एपीडी ग्रेड-IV/संबन्धित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र./संबन्धित व.प्र.	
7.1	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति:										
(ए)	विमान की खरीद के लिए (बजटीय योजना)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	भाविप्रा बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति।
(बी)	किसी परियोजना या योजना के लिए अन्य पूंजीगत व्यय हेतु	रु 10000 लाख तक की शक्तियाँ	रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(i) रु 50,000 लाख से अधिक लागत वाली योजनाओं को ई.एफ. सी/पी.आई.बी., जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन हेतु संस्तुति देने के लिए भा.वि.प्रा. बोर्ड के पास प्रस्तुत किया जाएगा ।</p> <p>(ii) ऐसा खर्च जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परियोजनाओं से जुड़ा तथा प्रभार्य हो, जैसे कि स्थापना खर्च आदि को भी किसी विशेष परियोजना के लिए जारी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति में शामिल किया जाएगा ।</p> <p>(iii) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति से व्यय अधिक होने पर व्यय का अनुमोदन (संशोधित प्रशा. अनु. एवं व्यय स्वी.) : यदि किसी परियोजना या योजना पर हुआ वास्तविक खर्च मूल रूप से स्वीकृत की गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संविदा/करार की शर्तों में परिवर्तन या कार्य/सेवाओं के विषय-क्षेत्र में बदलाव सहित किसी वजह से वास्तविक खर्च के मूल रूप से स्वीकृत की गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी । भा.वि.प्रा. बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के मामले में भा.वि.प्रा. बोर्ड से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ।</p> <p>(iv) यदि अपेक्षित हो तो मूल रूप से स्वीकृत राशि से होने वाले अधिक खर्च को सम्पूर्ण अनुमोदित बजट की सीमा में पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा ।</p> <p>(v) यदि खर्च में परिवर्तन सांविधिक बढोतरियों (न्यूनतम मजदूरी/ मँहगाई भत्ता / पी.एफ./ई.एस.आई.आदि सहित) अथवा विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की वजह से है तो संशोधित प्रशा. अनु. एवं व्यय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय - 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का. नि	संबंधित मप्र	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ एपीडी ग्रेड-I	एपीडी ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	एपीडी ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	एपीडी ग्रेड-IV /संबंधित उ. म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र. /संबन्धित व.प्र.	
7.2 (ए)	बजटीय योजनाओं के लिए व्यय बजट में से निधियों का पुनर्विनियोजन	पूर्ण शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 2000 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	---	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	
7.2 (बी)	गैर-बजटीय योजनाओं के लिए व्यय बजट में से निधियों का पुनर्विनियोजन	पूर्ण शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 1000 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 250 लाख तक की शक्तियाँ	---	उनके द्वारा दिए गए एए और ईएस हेतु रु 250 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	
7.3	प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति, जहां पुनर्विनियोजन संभव नहीं है: किसी एक परियोजना या योजना के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की स्थिति में अनुमोदित परिव्यय से अधिक पूंजीगत व्यय, जिसे आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा, को स्वीकृति देना।	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	
7.4	तकनीकी विशिष्टता/तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्ति	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	यदि वास्तविक व्यय मूल तकनीकी स्वीकृति से 10% से अधिक है, तो अगले उच्च प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
7.5	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/आरएफक्यू/आरएफपी/ईओआई आदि का अनुमोदन।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबन्धित पूर्णकालिक सदस्य	संबन्धित का.नि.	संबन्धित म.प्र.	क्षे.नि.का. / प्र. धानाचार्य सी ए टी सी / ए पी डी ग्रेड ।	वि .नि. ग्रेड- II/ संबन्धित म .प्र.	वि .नि. ग्रेड- III/संबन्धित सं .प्र.म.	वि .नि. ग्रेड -IV / संबन्धित उ .प्र.म.	प्रभारी अधिकारी / स .प्र.म. / संबन्धित व .प्र.	
7.6	निविदा की स्वीकृति:										
(ए)	न्यूनतम निविदा की स्वीकृति ('खुली निविदा' / 'सीमित निविदा')	पूर्ण शक्तियाँ । हालाँकि, रु 7500 लाख से अधिक की खरीद के लिए, खरीद सलाहकार बोर्ड (पीएबी) की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।	रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ, हालाँकि, रु 3500 लाख से अधिक की खरीद के लिए, खरीद सलाहकार समिति (पीएसी) की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ, हालाँकि, रु 750 लाख से अधिक की खरीद के लिए, खरीद सलाहकार उप समिति (पीएएससी) की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ , हालाँकि, रु 750 लाख से अधिक की खरीद के लिए, आरएसी की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिश पर रु 2000 लाख तक की शक्तियाँ	पीएएससी की सिफारिश पर रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिश पर रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	---	(i) पैरा 1.42 देखें । (ii) इस पैरा में खुली या सीमित निविदाओं के मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया/एकल योग्य बोली शामिल है।  (iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित खरीद निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा एकल निविदा स्वीकार की जा सकती है। दी गई दरों की तर्कसंगतता संबंधित खरीद निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबन्धित पूर्णकालिक सदस्य	संबन्धित का .नि.	संबन्धित म.प्र.	क्षे .नि.का. प्रधानाचार्य /सीएटीसी एपीडी ग्रेड-I	वि .नि. ग्रेड- III/ संबन्धित म.प्र.	वि .नि. ग्रेड III/ संबन्धित सं.प्र.म.	वि .नि. ग्रेड - IV / संबन्धित उ.प्र.म.	प्रभारी अधिकारी/ स .प्र.म. / संबन्धित व.प्र.	
(सी)	शुरुआत से बातचीत के आधार पर एकल प्रस्ताव पर श्रेणी- I के तहत स्टार्ट-अप प्रस्ताव की स्वीकृति - गैर-स्वामित्व वाली वस्तुएं	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	भाविप्रा की 183वीं बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित भाविप्रा स्टार्टअप नीति के तहत श्रेणी-I वर्क प्रोफाइल के लिए आइडिया टू पीओसी अनुदान के प्रावधानों के तहत प्रति स्टार्टअप रु 200 लाख तक कवर किया जाना है।
(डी)	दर अनुबंध के लिए न्यूनतम निविदा की स्वीकृति ( वाहनों को किराए पर लेने के अलावा )	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिश पर रु 50 करोड़ तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	पैरा 7.1 के अनुसार ए/ए और ई/एस प्राप्त करने के बाद, विषय संबंधी मामले पर समय-समय पर जारी निर्देशों/ भाविप्रा खरीद नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दर अनुबंध प्रदान किए जा सकते हैं।
7.7	नामांकन शुरु से बातचीत के आधार पर एकल प्रस्ताव पर निविदा बुलाए बिना कार्य प्रदान करना										
(ए)	मालिकाना वस्तु	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएएससी की सिफारिश पर प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिश पर प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	(i) विषय वस्तु पर भाविप्रा खरीद नियमावली के प्रावधानों /समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शक्तियाँ प्रयोग की जाने हैं ।  (ii) शुरु से ही बातचीत करके निविदा बुलाए बिना कार्य सौंपे जाने के मामले में, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दरों की तर्कसंगतता से संतुष्ट होकर, पूरा कारण दर्ज किया जाना चाहिए जिसे अनुचित रूप से उच्चतर दरों वाली एजेंसियों के मामले में सतर्क भी रहना होगा ।  (iii) निविदा बुलाए बिना नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान करने के मामले बहुत कम होने चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों में और जनहित में, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबन्धित पूर्णकालिक सदस्य	संबन्धित का.नि.	संबन्धित म.प्र.	क्ष.का.नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ एपीडी ग्रेड-I	वि .नि. ग्रेड-II/ संबन्धित म.प्र.	वि .नि. ग्रेड III/ संबन्धित सं.प्र.म.	वि .नि. ग्रेड -IV / संबन्धित उ.प्र.म.	प्रभारी अधिकारी/ स.प्र.म./ संबन्धित व.प्र.	
											(iv) वस्तुओं की खरीद केवल मालिकाना लेख प्रमाणपत्र (पीएसी) के होने पर मालिकाना अधिकार रखने वाले ओईएम या निर्माताओं (या उनके एकमात्र अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट) से ऐसी वस्तुओं की खरीद करने वाले उपयोगकर्ता / खरीद विभाग द्वारा ऐसे पीएसी जारी किए जाने हैं।
(बी)	गैर-स्वामित्व वाली वस्तु	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1.50 लाख तक की शक्तियाँ	(i) विषय-वस्तु पर भाविप्रा खरीद नियमावली के प्रावधानों/ समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शक्तियाँ प्रयोग की जानी हैं।  (ii) शुरू से ही बातचीत करके निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य सौंपे जाने के मामले में, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दरों की तर्कसंगतता से संतुष्ट होकर पूरा कारण दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे अनुचित रूप से उच्चतर दरों वाली एजेंसियों के मामले में सतर्क भी रहना होगा।  (iii) निविदा आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान करने के मामले बहुत कम होने चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों में और जनहित में, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबन्धित पूर्णकालिक सदस्य	संबन्धित का.नि.	संबन्धित म.प्र.	क्षे./नि.का. प्रधानाचार्य सीएटीसी / एपीडी ग्रेड-I	वि.नि. ग्रेड-II/ संबन्धित म.प्र.	वि.नि. ग्रेड-III/ संबन्धित सं.प्र.म.	वि.ग्रेड .नि.IV / संबन्धित उ.प्र.म.	प्रभारी अधिकारी/स.प्र.म./ संबन्धित व.प्र.	
7.8	वाहनों की खरीद (सीएफटी के अलावा जैसे एम्बुलेंस/कार /जीप/ पिक-अप वैन/स्टाफ बसें/ ट्रैक्टर और संबद्ध मशीनरी आदि)	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ, हालांकि, रु 1000 लाख से अधिक की खरीद के लिए पीएबी की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है	रु 1000 लाख तक की शक्तियाँ, हालांकि, रु 750 लाख से अधिक की खरीद के लिए पीएसी की सिफारिश पर शक्तियों का प्रयोग किया जाना है	वाहन के प्रतिस्थापन के संबंध में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	वाहन के प्रतिस्थापन के संबंध में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	वाहन के प्रतिस्थापन के संबंध में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	वाहन के प्रतिस्थापन के संबंध में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	(i) जहां तक संभव हो, वाहनों की खरीद के बजाय वाहनों को किराए पर लेने पर विचार किया जा सकता है। (ii) प्रस्ताव में झड़वरो की आवश्यकता और उसके वित्तीय प्रभाव शामिल होने चाहिए। (iii) ये शक्तियाँ कार्य प्रदान करने के लिए हैं और पैरा 7.1 के अनुसार ए/ए और ई/एस प्रदान करने के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। (iv) इन शक्तियों का प्रयोग ओटीई/एलटीई/नामांकन के आधार पर या निविदा बुलाए बिना, माल और सेवाओं की खरीद के लिए भाविप्रा मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
7.9	कार्यालय उपकरण और फर्नीचर की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	(i) ये शक्तियाँ कार्य प्रदान करने के लिए हैं और पैरा 7.1 के अनुसार ए/ए और ई/एस प्रदान करने के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। (ii) इन शक्तियों का प्रयोग ओटीई/एलटीई/नामांकन के आधार पर या निविदा बुलाए बिना, माल और सेवाओं की खरीद के लिए भाविप्रा मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबन्धित पूर्णकालिक सदस्य	संबन्धित का.नि.	संबन्धित म.प्र.	क्षे /नि.का. प्रधानाचार्य सीएटीसी / एपीडी ग्रेड-I	वि .नि. ग्रेड-II/ संबन्धित म.प्र.	वि .नि. ग्रेड- III/ संबन्धित सं.प्र.म.	वि -ग्रेड .नि.IV / संबन्धित उ.प्र.म.	प्रभारी अधिकारी/स.प्र.म./ संबन्धित व.प्र.	
7.10	लाउंज और टर्मिनल भवनों के लिए फर्नीचर / कला प्रभाव / फर्निशिंग, फिटिंग और फिक्स्चर आइटम आदि की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	(i) ये शक्तियाँ कार्य प्रदान करने के लिए हैं और पैरा 7.1 के अनुसार ए/ए और ई/एस प्रदान करने के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है।  (ii) इन शक्तियों का प्रयोग ओटीई/एलटीई/नामांकन के आधार पर या निविदा बुलाए बिना, माल और सेवाओं की खरीद के लिए भाविप्रा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
7.11 (ए)	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम अनुदान: वाहनों के लिए	पूर्ण शक्तियाँ	उनके या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ				---	---	---	---	जहां तक संभव हो, कार्य प्रदान करने के लिए कार्यादेश देने पर आपूर्तिकर्ताओं को दिए जाने वाले अग्रिमों से बचना चाहिए। हालांकि, जहां यह अपरिहार्य है, प्राधिकारी इस शक्ति का प्रयोग अग्रिम और बीजी के समय एसबीआई की प्रमुख ऋण दर के अनुसार कर सकते हैं। बीजी और ब्याज की छूट: (i) अग्रिम भुगतान पर बीजी और ब्याज की छूट: अध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ। (ii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान पर बीजी और ब्याज की छूट: पूर्णकालिक सदस्यों को पूर्ण शक्तियाँ। (iii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान पर बैंक गारंटी और ब्याज की छूट: क्षे का नि/का नि स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिए स्वीकृत राशि के 10% तक।
7.11 (बी)	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम अनुदान: अन्य हेतु	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	शुल्क और करों को छोड़कर आपूर्ति आदेश मूल्य के 50% तक की शक्तियाँ	---	शुल्क और करों को छोड़कर आपूर्ति आदेश मूल्य के 50% तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-7

सम्बद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित का.नि.	सम्बंधित म प्र	क्षे का नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी /वि नि ग्रेड-1	वि नि ग्रेड-1/ सम्बंधित म प्र	वि निग्रेड-III/ सम्बंधित सं म प्र	वि नि ग्रेड-IV/ सम्बंधित उ म प्र	प्रभारीअधिकारी/स म प्र/ सम्बंधित व प्र	
7.11 (सी)	पीओसी अनुदान के आइडिया के तहत स्टार्टअप्स को अग्रिम अनुदान	पूर्ण शक्तियाँ	50% तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	जहां तक संभव हो अनुमोदन प्रदान करते समय स्टार्टअप्स को अग्रिम प्रदान करने से बचना चाहिए। हालांकि, जहां यह अपरिहार्य है, प्राधिकारी इस शक्ति का प्रयोग अग्रिम और बैंक गारंटी के समय एसबीआई की प्रमुख ऋण दर के अनुसार कर सकते हैं। बैंक गारंटी और ब्याज की छूट के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
7.12	माल और सेवाओं के लिए भाविप्रा खरीद मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार विकल्प खंड का प्रचालन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्तावित मात्रा उनके द्वारा दिए गए मूल आदेश के 30% से अधिक नहीं होगी					<p>(i) इस खंड के तहत, क्रेता वर्तमान अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार ही अतिरिक्त मात्रा (आमतौर पर 30%) के लिए आदेश देने का अधिकार रखता है। जबकि, संबंधित खरीद निदेशालय यह प्रमाणित करेगा कि कीमतों में कोई गिरावट नहीं है।</p> <p>ii) यह अनुबंध के प्रचालन के भीतर लागू होगा।</p> <p>iii) अंतिम खरीद आदेश को प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अंतिम रूप दिया गया होना चाहिए।</p> <p>iv) यदि अनुबंध का मूल्य मूल निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की शक्तियों के प्रत्यायोजन से अधिक है तो अगले उच्च अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कुल राशि ए ए एंड ई एस के 10% से अधिक है, तो संशोधित ए ए एंड ई एस प्राप्त किया जाना चाहिए।</p>		

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-7

सम्बद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	सम्बंधित म प्र	क्षे का नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी /ए पी डी ग्रेड-1	वि नि ग्रेड-II/ सम्बंधित म प्र	वि नि ग्रेड-III/ सम्बंधित म प्र	वि नि ग्रेड-IV/ सम्बंधित उ म प्र	प्रभारी अधिकारी/ स म प्र / सम्बंधित व. प्र.	
7.13	कार्य के स्वीकृत कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के बिना मात्राओं में विचलन/भिन्नता: कार्यों के निष्पादन के दौरान और साइट की शर्तों के अधीन, उल्लिखित प्राधिकारी मर्दों के संबंध में मात्राओं की निर्धारित अनुसूची का हिस्सा बनने वाली मर्दों में विचलन मात्रा का आदेश दे सकते हैं	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 200 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 200 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 150 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 100 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 50 लाख तक की शक्तियाँ	<p>i) तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुबंध भिन्नता खंड और व्यय स्वीकृति की अनुमेय सीमा के भीतर विचलन प्रदान किया जा सकता है।</p> <p>(i) कुल मिलाकर अनुबंध विचलन (विचलन+अतिरिक्त मर्दें/स्थानापन्न मर्दें ) अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30% से अधिक का समय अनुबंध विचलन निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन से निष्पादित किया जाएगा:</p> <p>(ए) निगमित मुख्यालय की योजनाओं के मामले में संबंधित पूर्णकालिक सदस्य,</p> <p>(बी) क्षे मु की योजनाओं के मामले में उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/हवाईअड्डों के लिए क्षे का नि, और</p> <p>सी) संबंधित स्टेशनों के संबंध में क्षे मु की योजनाओं के लिए विनि ग्रेड-II/(विनि ग्रेड-1 की वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर रहे विनि ग्रेड-II हवाईअड्डे)।</p>
7.14	अतिरिक्त / स्थानापन्न मर्दें: कार्यों के निष्पादन के दौरान और साइट की शर्तों के अधीन उल्लिखित प्राधिकारी अतिरिक्त / स्थानापन्न वस्तुओं का आदेश दे सकते हैं										<p>इस शर्त के अधीन कि साइट की स्थिति के कारण ऐसी स्थानापन्न या अतिरिक्त मर्दों की सिफारिश की जाती है, और इस संबंध में एक प्रमाण पत्र, प्रत्येक मामले में, पूर्ण औचित्य के साथ दर्ज किया जाना है, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुबंध भिन्नता खंड के भीतर और व्यय की अनुमेय सीमा के भीतर मंजूरी दी जा सकती है।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-7

सम्बद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	सम्बंधित पूर्णकालिक सदस्य	सम्बंधित कार्यपालक निदेशक	सम्बंधित म प्र	क्षे का नि/ प्रधानाचार्य सीएटीसी / वि नि ग्रेड-1	वि नि ग्रेड- II/ सम्बंधित म प्र	वि नि ग्रेड III/ सम्बंधित सं म प्र	वि नि ग्रेड- IV/ सम्बंधित उ म प्र	प्रभारी अधिकारी/स म प्र / सम्बंधित व प्र	
(ए)	बी ओ क्यू आईटम	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 200 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 200 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 150 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 100 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 50 लाख तक की शक्तियाँ	कुल मिलाकर अनुबंध विचलन (विचलन + अतिरिक्त मर्दे//स्थानापन्न मर्दे ) अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30% से अधिक का समय अनुबंध विचलन निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन से निष्पादित किया जाएगा: (ए) निगमित मुख्यालय की योजनाओं के मामले में संबंधित पूर्णकालिक सदस्य, (बी) क्षे मु की योजनाओं के मामले में उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ हवाई अड्डों के लिए क्षेकानि, और सी) संबंधित स्टेशनों के संबंध में क्षे मु की योजनाओं के लिए वि नि ग्रेड-I/( वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर रहे विनि ग्रेड-II हवाई अड्डे )।
(बी)	गैर बी ओ क्यू आईटम	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 25 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	₹ 25 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 15 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 10 लाख तक की शक्तियाँ	₹ 5 लाख तक की शक्तियाँ	
7.15 (ए)	क्षतिपूर्ति लगाकर या लगाए बिना समय में बढ़ोत्तरी : साइट की स्थितियों तथा अन्य तर्कसंगत कारणों के होने पर अधिकारी समय में बढ़ोत्तरी की अनुमति दे सकते हैं ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय की योजनाओं के लिए उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के संबंध में समय में बढ़ोत्तरी को अनुमोदन देने की पूर्ण शक्तियाँ ।	उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई तक ।	क्षेत्रीय मुख्यालय/ विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I की योजनाओं के लिए उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के संबंध में समय में बढ़ोत्तरी को अनुमोदन देने की पूर्ण शक्तियाँ ।	उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई तक ।				(I) कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई से अधिक समय की बढ़ोत्तरी को अनुमोदन के लिए महाप्रबंधक स्तर के अगले उच्च प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा, जबकि कार्यपालक निदेशक/ क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक /प्रधानाचार्य, सीएटीसी / विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I (क्षेत्रीय मुख्यालय/विमानपत्तन निदेशक, ग्रेड- I योजनाओं के लिए) के पास उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के लिए समय में बढ़ोत्तरी करने को अनुमोदन देने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी ।  (II) जिन निविदाओं की स्वीकृति कार्यपालक निदेशक/क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य, सीएटीसी/ विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-I (निगमित मुख्यालय की योजनाओं के लिए) से ऊपर हुई है, उन निविदाओं के संबंध में

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-7

संबद्ध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्ण कालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक	संबंधित म.प्र.	क्षे.का.निदेशक/प्रधानाचार्य, सीएटीसी/विमानपत्तन निदेशक, गेड-I	विमानपत्तन निदेशक गेड-II /संबंधित म.प्र.	विमानपत्तन निदेशक, गेड-III /संबंधित सं.म.प्र.	विमानपत्तन निदेशक गेड-IV /संबंधित उप म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स.म.प्र./संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
											कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई से अधिक समय की बढ़ोत्तरी को अनुमोदन के लिए संबंधित सदस्य के पास प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित सदस्य के पास सभी निविदाओं के संबंध में समय में बढ़ोत्तरी करने को अनुमोदन देने की पूर्ण शक्तियाँ हैं, चाहे समय में बढ़ोत्तरी की अवधि कुछ भी हो।  (III) क्षतिपूर्ति लगाकर या बिना लगाए समय में बढ़ोत्तरी करने के लिए वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसे संबंधित प्रापण विभाग की संस्तुति पर क्रय आदेश के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
7.15 (बी)	लगाए जा चुकी क्षतिपूर्ति को माफ करना/छूट देना : जहाँ समय में बढ़ोत्तरी प्रदान की गई है, अधिकारी लगाई गई क्षतिपूर्ति को माफ कर सकता है /उसमें छूट दे सकता है बशर्ते कि ऐसी स्थितियाँ हों और अन्य तर्कसंगत कारण विद्यमान हों।	पीएबी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-7

संबंध सेवाओं सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अलावा					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक	संबंधित म.प्र.	क्षे.का.निदेशक/ प्रधानाचार्य, सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड-1	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-II /संबंधित म.प्र.	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड-III /संबंधित सं.म.प्र.	वि.नि. ग्रेड-IV/ संबंधित उप म.प्र.	प्रभारी अधि./ स.म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
7.16	संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाना	<p>(i) रूपए 300 करोड़ एवं उससे अधिक के मूल्य वाली संविदाओं के लिए संविदा समझौतों पर संबंधित महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p> <p>(ii) रूपए 300 करोड़ से कम मूल्य वाली ऐसी संविदाओं के संबंध में जिसमें निविदाओं को इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक द्वारा और उसके ऊपर के अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, संविदा समझौतों पर संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p> <p>(iii) अपने द्वारा स्वीकृत निविदाओं के संबंध में संबंधित स.म.प्र./ वरिष्ठ प्रबंधक/ प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे ।</p>									सक्षम प्राधिकारियों के उपयुक्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन उपलब्ध होने पर तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकारी आद्योपांत (टर्न की) संविदाओं सहित कार्यों/आपूर्तियों के संबंध में परियोजना/योजना के संस्थापन एवं चालू होने आदि अन्य क्षेत्रों के साथ सिंक्रोनाइज करने के बाद प्राधिकरण की ओर से संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।



अध्याय-8

# पूँजीगत कार्यों से संबंधित शक्तियाँ

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त				अभ्युक्तियाँ	
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक निगमित मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक निगमित मुख्यालय	क्षे का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक, ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- IV/ संबंधित उ.म.प्र		प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक
8.1	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति: किसी परियोजना अथवा योजना के लिए पूँजीगत व्यय को स्वीकृति देना ।	रु 10000 लाख तक की शक्तियाँ	रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	(i) रु50,000 लाख से अधिक लागत वाली योजनाओं को ई.एफ.सी./पी.आई.बी., जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन हेतु संस्तुति देने के लिए भा.वि.प्रा. बोर्ड के पास प्रस्तुत किया जाएगा । (ii) ऐसा खर्च जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परियोजनाओं से जुड़ा तथा प्रभार्य हो, जैसे कि स्थापना खर्च आदि को भी किसी विशेष परियोजना के लिए जारी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति में शामिल किया जाएगा । (iii) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति से व्यय अधिक होने पर व्यय का अनुमोदन (संशोधित प्रशा. अनु. एवं व्यय स्वी.) : यदि किसी परियोजना या योजना पर हुआ वास्तविक खर्च मूल रूप से स्वीकृत की गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संविदा/करार की शर्तों में परिवर्तन या कार्य/सेवाओं के विषय-क्षेत्र में बदलाव सहित किसी वजह से वास्तविक खर्च के मूल रूप से स्वीकृत की गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी । भा.वि. प्रा. बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के मामले में भा.वि.प्रा. बोर्ड से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । (iv) यदि अपेक्षित हो तो मूल रूप से स्वीकृत राशि से होने वाले अधिक खर्च को सम्पूर्ण अनुमोदित बजट में से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा । (v) यदि खर्च में परिवर्तन सांविधिक बढ़ोत्तरियों (न्यूनतम मजदूरी/ मंहगाई भत्ता / पी.एफ./ई.एस.आई.आदि सहित) अथवा विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की वजह से हैं तो संशो. प्रशा. अनु. एवं व्यय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियां
		अध्यक्ष	निगमित संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक, निगमित मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक, निगमित मुख्यालय	क्षे का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड - II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड - III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उ.म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
8.2 (ए)	बजटीय योजनाओं के लिए बजटीय व्यय से पुनर्विनियोजन हेतु मंजूरी	पूर्ण शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 2000 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	---	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	
8.2 (बी)	गैर- बजटीय योजनाओं हेतु बजटीय व्यय से निधि के पुनर्विनियोजन हेतु मंजूरी।	पूर्ण शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 1000 लाख तक की शक्तियाँ	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 250 लाख तक की शक्तियाँ	---	उनके द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु रु 250 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	
8.3	प्रशासनिक एवं व्यय मंजूरी जहाँ पुनर्विनियोजन व्यवहार्य नहीं है: अनुमोदित लागत के अलावा और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाले पूँजीगत व्यय को आंतरिक संसाधनों से स्वीकृत करना।	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ ।	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ ।	---	---	---	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियां
		अध्यक्ष	निगमित संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक, निगमित मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक, निगमित मुख्यालय	क्षे का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.-IV/ संबंधित उ.म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
8.4 (ए)	जमा कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति : राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/विद्युत बोर्ड/एसपीवी/सीपीएसई/एसपीएसई / सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों को जमा कार्य अवाई करने का प्रशासनिक अनुमोदन ।	पूर्ण शक्तियाँ , हांलाकि, रु 2000 लाख से अधिक के कार्य हेतु डब्ल्यूएबी (WAB) की सिफारिशों के आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	डब्ल्यूएसी की सिफारिशों पर रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ ।	डब्ल्यूएएससी की सिफारिशों पर रु 750 लाख तक की शक्तियाँ ।	---	आरएसी की सिफारिशों पर रु 750 लाख तक की शक्तियाँ ।	---	---	---	---	(i) कार्य को 'जमा कार्य' आधार के रूप में अवाई किए जाने के कारणों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।  (ii) यथासंभव, निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।  (iii) विद्युत के वितरण के मामले में, एजेंसी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत होनी चाहिए।
8.4 (बी)	केन्द्र /राज्य सरकार/पीएसयू/निजी संगठनों द्वारा भाविप्रा को सौंपे गए जमा कार्यों (Deposit work) को लेने का प्रशासनिक अनुमोदन।	पूर्ण शक्तियाँ , हांलाकि, रु 2000 लाख से अधिक के कार्य हेतु डब्ल्यूएबी (WAB) की सिफारिशों के आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	डब्ल्यूएसी की सिफारिशों पर रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ ।	डब्ल्यूएएससी की सिफारिशों पर रु 750 लाख तक की शक्तियाँ ।	---	आरएसी की सिफारिशों पर रु 750 लाख तक की शक्तियाँ ।	---	---	---	---	(i) यथासंभव, निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं ।  (ii) विभागीय प्रभारों में छूट /कटौती की शक्तियाँ जमा कार्य लेने के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम अगले उच्च प्राधिकारी के पास होगी, हांलाकि, अध्यक्ष के पास पूर्ण शक्तियाँ निहित होंगी।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-8**

**पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक निगमित मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक निगमित मुख्यालय	क्षे का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक, ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.-IV/ संबंधित उ.म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
8.5 (ए)	पी एम सी / वास्तुकला/इंजी परामर्शदाताओं की नियुक्ति	पूर्ण शक्तियाँ - डब्ल्यूएबी (WAB) की सिफारिशों पर	पूर्ण शक्तियाँ - उनकी तथा उनसे नीचे के अधिकारियों की, परियोजना/योजना/जमा कार्य हेतु, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर डब्ल्यूएसी (WAC) की सिफारिशों पर ।	पूर्ण शक्तियाँ- संबंधित सदस्य तथा उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित परियोजना/ योजना/जमा कार्यों के संबंध में ।	---	पूर्ण शक्तियाँ- परियोजना/योजना जिसकी कीमत प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्तियों तथा उसके नीचे के अधिकारियों से अधिक न हो, के संबंध में ।	पूर्ण शक्तियाँ- परियोजना/योजना जिसकी कीमत प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति तथा उसके नीचे के अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक न हो तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिशत के आधार पर कार्य की कीमत से लिंकड हो, के संबंध में ।	---	---	---	(i) पीएमसी/वास्तुकार की नियुक्ति खुली निविदाओं के माध्यम से की जानी है अथवा जहां कहीं अनुमोदित पैनल उपलब्ध हो, वहां पैनलबद्ध फर्मा से दरें प्राप्त करके सीमित निविदाओं के बाद अंतिम रूप दिया जाना है। नियुक्ति वास्तुकला परिषद/अनुमोदित दिशा-निर्देशों/अनुमोदित अनुमानित लागत द्वारा इंगित अधिकतम सीमा के अधीन होगी।  (ii)खुली कोटेशन के आधार पर अथवा जहां भी अनुमोदित पैनल उपलब्ध होगा, पैनलबद्ध फर्मा से प्राप्त दरों द्वारा सीमित कोटेशन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इंजीनियरिंग परामर्शदाता की नियुक्ति संबंधी कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा । हालांकि, नामांकन के आधार पर नियुक्ति, औचित्य सहित, डब्ल्यूएबी की सिफारिशों पर अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय			निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त						अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक निगमित मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक निगमित मुख्यालय	क्षे का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक, ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.-IV/ संबंधित उ.म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	
8.5 (बी)	किसी परियोजना अथवा योजना के लिए पर्यावरण मंजूरी साइट सर्वेक्षण, मिट्टी जांच, अग्रभाग परामर्श या डीपीआर आदि सहित प्रारंभिक प्रकृति के अन्य कार्य को कवर करने के लिए एजेंसियों /परामर्शदाताओं की नियुक्ति।	पूर्ण शक्तियाँ	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु । 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 200 लाख तक की शक्तियाँ ।	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु। 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 100 लाख तक की शक्तियाँ ।	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु। 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 30 लाख तक की शक्तियाँ ।	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु। 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 100 लाख तक की शक्तियाँ ।	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु । 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 30 लाख तक की शक्तियाँ	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु । 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 15 लाख तक की शक्तियाँ	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु । 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रिया के अधीन रूपये 10 लाख तक की शक्तियाँ	1. पूर्ण शक्तियाँ सरकारी एजेंसियों हेतु । 2. सरकारी एजेंसियों के अलावा कोडल प्रक्रियाओं के अधीन रूपये 5 लाख तक की शक्तियाँ	यह पैरा भाविप्रा द्वारा किए गए / जमा कार्य के आधार पर भाविप्रा द्वारा कार्यान्वित कार्य/ असाइनमेंट/ संविदा पर भी लागू होता है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक मुख्यालय	संबंधित महाप्रबंधक मुख्यालय	क्षेत्र का नि / प्रधानाचार्य / विमानपत्तन निदेशक ग्रेड - I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.- III/ संबंधित संयुक्त म.प्र	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड.-IV/ संबंधित उ.म.प्र	प्रभारी अधिकारी/ स.म.प्र/ संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक	
8.6	तकनीकी विनिर्दिष्टताओं/तकनीकी मंजूरी का अनुमोदन ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक शक्तियाँ	रु 300 लाख तक शक्तियाँ	रु 200 लाख तक शक्तियाँ	रु 100 लाख तक शक्तियाँ	रु 25 लाख तक शक्तियाँ	रु 10 लाख तक शक्तियाँ	यदि वास्तविक व्यय मूल तकनीकी मंजूरी के 10% से अधिक होगा तो संशोधित तकनीकी मंजूरी अगले उच्च प्राधिकारी से प्राप्त करनी अपेक्षित होगी ।
8.7	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/ आरएफक्यू/ आरएफपी/ ईओआई इत्यादि का अनुमोदन ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक शक्तियाँ	रु 300 लाख तक शक्तियाँ	रु 200 लाख तक शक्तियाँ	रु 100 लाख तक शक्तियाँ	रु 25 लाख तक शक्तियाँ	रु 10 लाख तक शक्तियाँ	
8.8	निविदा की स्वीकृति :												
8.8 (ए)	न्यूनतम निविदा ('खुली/सौमित्र') की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ, हांलाकि रु 7500 लाख से अधिक के कार्यों के लिए कार्य सलाहकार बोर्ड (डब्ल्यूबी) (WAB) की सिफारिशों पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ, हांलाकि रु 3500 लाख से अधिक के कार्यों के लिए कार्य सलाहकार समिति (डब्ल्यूसी) (WAC) की सिफारिशों पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ, हांलाकि रु 750 लाख से अधिक के कार्यों के लिए कार्य सलाहकार उप समिति (डब्ल्यूएससी) (WASC) की सिफारिशों पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	रु 500 लाख तक शक्तियाँ, हांलाकि रु 750 लाख से अधिक के कार्यों के लिए आरएसी (RAC) की सिफारिशों पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा ।	रु 1500 लाख तक शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	स्टेशन पर किसी सहायक महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक की तैनाती न होने पर नियंत्रण अधिकारी अर्थात् सहायक महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक से अनुमोदन प्राप्त कर प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-8**

**पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य. निदे. नि. मु.	संबंधित महाप्रबन्धक, नि.मु.	क्षे. कार्य. नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड I	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित संयु. महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV / संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहा. महा प्रबंधक/ संबंधित वरि. प्रबं.	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक	
8.8 (बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ डब्ल्यू ए बी (WAB) की सिफारिशों पर	डब्ल्यूएस सी (WAC) की संस्तुति पर रु 2000 लाख तक की शक्तियाँ	डब्ल्यूएस सी (WASC) की संस्तुति पर रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी (RAC)की संस्तुति पर रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	(i) पैरा 1.42. का संदर्भ लें ।  (ii) यह पैरा खुली अथवा सीमित निविदाओं के मूल्यांकन के बाद एकल रिसपांस/ एकल योग्य बोली को कवर करता है।  एकल निविदा को स्वीकृत करने हेतु संबंधित निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा एकल निविदा स्वीकार की जा सकती है। । संबंधित निदेशालय द्वारा उद्धृत दर की तर्कसंगतता सुनिश्चित की जाएगी।
8.9	निविदा आमंत्रित किए बिना/नामांकन आधार पर कार्य अवाई करना	पूर्ण शक्तियाँ ,हालांकि रूपए 1000 लाख से अधिक के कार्यों के लिए, कार्य सलाहकार बोर्ड (डब्ल्यूएबी) (WAB)की सिफारिशों पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	डब्ल्यूएससी (WAC)की सिफारिशों पर रूपए 500 लाख तक की शक्तियाँ	डब्ल्यूएससी (WASC) की सिफारिशों पर रूपए 200 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 100 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी (RAC)की सिफारिशों पर रूपए 200 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 100 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 30 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 20 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 10 लाख तक की शक्तियाँ	रूपए 2 लाख तक की शक्तियाँ	---	(i)आरंभिक स्तर पर वार्ता द्वारा निविदा आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर कार्य सौंपे जाने के मामले में प्राधिकरण द्वारा दरों की तर्कसंगतता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होकर पूरा कारण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, अन्यायोचित उच्च रेट रखने वाली एजेंसियों से भी सावधान रहन होगा ।  (ii) निविदाओं को आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर कार्य अवाई करने के मामले बहुत कम, केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में और जनहित में होने चाहिए, लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय-8**

**पूजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य. निदे. नि. मु.	संबंधित महाप्रबन्धक, नि.मु.	क्षे. कार्य. नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड I	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित संयु. महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV / संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहा. महा प्रबंधक/ संबंधित वरि. प्रबं.	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक	
8.10	कार्य के स्वीकृत कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के बिना मात्राओं में विचलन :कार्यों के निष्पादन के दौरान और साइट की स्थिति के अधीन, उल्लिखित प्राधिकारी, मर्दों के संबंध में मात्राओं की निर्धारित अनुसूची का हिस्सा बनने वाली मर्दों की मात्रा में विचलन का आदेश दे सकते हैं।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूप 200 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूप 200 लाख तक की शक्तियाँ	रूप 150 लाख तक की शक्तियाँ	रूप 100 लाख तक की शक्तियाँ	रूप 50 लाख तक की शक्तियाँ	रूप 1 लाख तक की शक्तियाँ	---	<p>(i) तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुबंध भिन्नता खंड और व्यय स्वीकृति की अनुमय सीमा के भीतर विचलन प्रदान किया जा सकता है।</p> <p>(ii) समग्र अनुबंध विचलन (विचलन जमा अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दों) अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30% से अधिक का समग्र अनुबंध विचलन निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन से निष्पादित किया जाएगा:</p> <p>(ए) निगमित मुख्यालय योजनाओं के मामले में संबंधित पूर्णकालिक सदस्य,</p> <p>(बी) क्षेत्रीय मुख्यालय योजनाओं के संबंध में उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों / हवाईअड्डों के लिए क्षे का नि, और</p> <p>(सी) संबंधित स्टेशनों के संबंध में क्षेत्रीय मुख्यालय योजनाओं के लिए वि नि ग्रेड-1/(वि नि ग्रेड-1 की वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर रहे वि नि ग्रेड-1। हवाईअड्डे)।</p>
8.11	अतिरिक्त / स्थानापन्न मर्दों : कार्यों के निष्पादन के दौरान और साइट की स्थिति के अधीन, उल्लिखित अधिकारी अतिरिक्त / स्थानापन्न वस्तुओं का आदेश दे सकते हैं												<p>(i) इस शर्त के अधीन कि साइट की स्थिति के कारण इस तरह के प्रतिस्थापन या अतिरिक्त मर्दों की सिफारिश की गई है, और इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रत्येक मामले में पूर्ण औचित्य के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और इसे निर्धारित अनुबंध भिन्नता खंड के भीतर और व्यय स्वीकृति की स्वीकार्य सीमा के भीतर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए ।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूँजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य. निदे. नि. मु.	संबंधित महाप्रबन्ध क, नि.मु.	क्षे. कार्य. नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड I	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित संयु. महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV / संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहा. महा प्रबंधक/ संबंधित वरि. प्रबं.	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक	
8.11 (ए)	अनुसूचित मर्दे	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूपे 200 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूपे 200 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 150 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 100 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 50 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 1 लाख तक की शक्तियाँ	---	<p>तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।</p> <p>(ii) समग्र संविदा विचलन (विचलन जमा अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दे) अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30% से अधिक का समग्र अनुबंध विचलन निम्नलिखित से पूर्व अनुमोदन से निष्पादित किया जाएगा:</p>
8.11 (बी)	गैर अनुसूचित मर्दे	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूपे 25 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रूपे 25 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 15 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 10 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 5 लाख तक की शक्तियाँ	रूपे 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	<p>(ए) निगमित मुख्यालय योजनाओं के मामले में संबंधित पूर्णकालिक सदस्य,</p> <p>(बी) क्षेत्रीय मुख्यालय योजनाओं और उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों / हवाईअड्डों के मामले में क्षे का नि , और</p> <p>(सी) संबंधित स्टेशनों के संबंध में क्षेत्रीय मुख्यालय योजनाओं के लिए वि नि ग्रेड-I/ ( वि नि ग्रेड-I की वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर रहे वि नि ग्रेड-II हवाईअड्डे)।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य. निदे. नि. मु.	संबंधित महाप्रबन्ध क. नि.मु.	क्षे. कार्य. नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड I	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित संयु. महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV / संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहा. महा प्रबंधक/ संबंधित वरि. प्रबं.	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक	
8.12 (ए)	समय विस्तार (क्षतिपूर्ति सहित या रहित): साइट की स्थितियों और संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत अन्य औचित्यपूर्ण कारणों के अधीन।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई निविदाओं के लिए नि. मु योजनाओं हेतु ईओटी को अनुमोदित करने की पूर्ण शक्तियाँ	उनके या उनके नीचे के अधिकारी द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में पूर्णता की निर्धारित अवधि के एक तिहाई तक	क्षे. मु /वि नि ग्रेड-I योजनाओं के लिए उनके द्वारा या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई निविदाओं के लिए ईओटी को अनुमोदित करने की पूर्ण शक्तियाँ	उनके या उनके नीचे के अधिकारी द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई तक			---	---	(i) कार्य समापन की निर्धारित अवधि के एक तिहाई से अधिक ईओटी को महाप्रबंधक स्तर तक के अगले उच्च प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि का नि /क्षे का नि /प्रधानाचार्य, सीएटीसी/ वि नि ग्रेड I (क्षे मु /वि नि ग्रेड-I योजनाओं के लिए) के पास उनके या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई निविदाओं के लिए ईओटी को अनुमोदित करने का पूर्ण शक्तियाँ होगी।  क्षे का नि /का नि / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि ग्रेड-I (नि मु योजनाओं के लिए) से ऊपर स्वीकार की गई निविदाओं के पूरा होने की निर्धारित अवधि के एक तिहाई से अधिक ईओटी अनुमोदन के लिए संबंधित सदस्य को प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित सदस्य के पास ईओटी की अवधि पर ध्यान दिए बिना सभी निविदाओं के संबंध में ईओटी को अनुमोदित करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं।  (iii) वसूली सहित या रहित ईओटी के लिए वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसे संबंधित विभाग द्वारा रिकॉर्ड किए गए औचित्य पर संविदात्मक नियमों और शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-8

पूजीगत कार्यों से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त							अभ्युक्तियाँ	
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य. निदे. नि. मु.	संबंधित महाप्रबन्धक, नि.मु.	क्षे. कार्य. नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि. नि. ग्रेड I	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड III/ संबंधित संयु. महाप्रबंधक	वि. नि. ग्रेड IV / संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी / सहा. महा प्रबंधक/ संबंधित वरि. प्रबं.	संबंधित प्रबंधक	संबंधित सहायक प्रबंधक		
8.12 (बी)	पहले से लगाए गए मुआवजे में छूट/रियायत: शर्तों और अन्य औचित्यपूर्ण कारणों के अधीन, अधिकारी मुआवजे की वसूली को माफ कर सकते हैं/छूट प्रदान कर सकते हैं, जहां समय विस्तार प्रदान किया गया हो।	पूर्ण शक्तियाँ डब्ल्यूएबी (WAB) की सिफारिश पर	पूर्ण शक्तियाँ उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में	पूर्ण शक्तियाँ उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निविदाओं के संबंध में	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8.13	संविदा करारों पर हस्ताक्षर किया जाना	(i) ₹ 300 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की संविदाओं के लिए, संविदा समझौतों पर संबंधित महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (ii) ₹ 300 करोड़ से कम मूल्य की संविदाओं के लिए, संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक निविदाओं के संबंध में संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जो उनके द्वारा और ऊपर, इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। (iii) संबंधित समग्र /वप्र /प्रबंधक/सप्र उनके द्वारा स्वीकार की गई निविदाओं के संबंध में संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।											सक्षम प्राधिकारियों के उपयुक्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन उपलब्ध होने पर तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकारी आद्योपांत (टर्न की) संविदाओं सहित कार्यों/आपूर्तियों के संबंध में परियोजना/योजना के सिविल और विद्युत कार्यों, संस्थापन एवं चालू होने आदि अन्य क्षेत्रों के साथ सिंक्रोनाइज करने के बाद प्राधिकरण की ओर से संविदा समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।	
8.14 (ए)	अग्रिम भुगतान: मोबिलाईजेशन/संरक्षित अग्रिम	वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन अनुमोदित निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार टीएस प्राधिकरण												
8.14 (बी)	ठेकेदारों को, किए गए कार्य के लिए, अग्रिम भुगतान लेकिन क्षतिपूर्ति बांड के अनुसार उसे मापा नहीं गया।	---	---	---	किए गए कार्य/पूरी की गई आपूर्ति के अनुमानित मूल्य के 75% तक	---	किए गए कार्य/पूरी की गई आपूर्ति के अनुमानित मूल्य के 75% तक	किए गए कार्य/पूरी की गई आपूर्ति के अनुमानित मूल्य के 70% तक	किए गए कार्य/पूरी की गई आपूर्ति के अनुमानित मूल्य के 60% तक	किए गए कार्य/पूरी की गई आपूर्ति के अनुमानित मूल्य के 50% तक	---	---	(i) किए गए कार्य के मूल्यांकन मूल्य के 75% की सीमा तक ठेकेदारों को अग्रिम तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी या उसके प्राधिकृत परियोजना प्रभारी (या अभियंता प्रभारी जो भी लागू हो) द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अग्रिम को अगले बिल में समायोजित किया जाएगा जो अनिवार्य रूप से निष्पादित और रिकॉर्ड किए गए कार्य के विस्तृत माप के आधार पर होगा। (ii) अग्रिम भुगतानों को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी, अग्रिमों के शीघ्र निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे और संबंधित कार्यपालक निदेशक को सूचना के लिए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	



अध्याय-9

# राजस्व व्यय प्रस्तावों से संबंधित शक्तियाँ

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियां
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि गेड-I	वि नि गेड-II/ संबंधित म .प्र.	वि नि गेड-III/ संबंधित संयुक्त म .प्र.	वि नि गेड-IV /संबंधित उ .म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स . म .प्र./ संबंधित व .प्र.	
9.1	राजस्व व्यय के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	रु 5000 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(i) मरम्मत और रखरखाव कार्य दो व्यापक श्रेणियों में आते हैं, नामतः एआरएमओ और विशेष मरम्मत, एआरएमओ कार्यों के लिए कोई अलग प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति आवश्यक नहीं है, जिसके लिए कार्यवार विवरण के साथ दिये गए "एक्शन प्लान" को वर्ष की शुरुआत से पहले ही तैयार करवाकर उसे क्षे. का. नि. /वि नि / विमानपत्तन प्रभारी से अनुमोदित करवाया जाए, भले ही एआरएमओ कार्यों के लिए कोई अलग प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (व्यय स्वीकृति) आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी। एक्शन प्लान में सूचीबद्ध नहीं किए गए कार्यों को करने से पहले क्षे.का.नि./विमानपत्तन प्रभारी से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन लेना आवश्यक है। लेकिन विशेष मरम्मत के मामलों में, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति और तकनीकी मंजूरी आवश्यक है। सभी मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए काम देने से पहले वित्तीय सहमति अपेक्षित है। खंड गैर-इंजीनियरिंग कार्यों को भी कवर करता है।</p> <p>(ii) वार्षिक आधार पर एक बार अनुमोदित नियोजित व्यय या भाविप्रा की विधिवत अनुमोदित नीति के अनुसार व्यय के लिए राजस्व शीर्ष के तहत व्यय हेतु अलग से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, यथा यूनिफोर्म आइटम, अग्नि सुरक्षा आइटम आदि। हालांकि, विशेष मरम्मत परियोजनाओं, राजस्व योजनाओं के तहत पुर्जों के आयात, नए एएमसी अनुबंध, राजस्व प्रकृति के अनियोजित व्यय आदि के मामले में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त किया जाना है।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-1	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
9.2	व्यय बजट में से निधियों के पुनर्विनियोजन की मंजूरी	समग्र बजट अनुमान के भीतर पूर्ण शक्तियाँ	समग्र बजट अनुमान के भीतर उसी प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत व्यय शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन के लिए पूर्ण शक्तियाँ	---	---	क्षेत्रों/हवाई अड्डों पर बजट आबंटन के भीतर पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	
9.3	तकनीकी विशिष्टता/तकनीकी संस्वीकृति का अनुमोदन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	(i) यदि वास्तविक व्यय मूल तकनीकी संस्वीकृति से 10% से अधिक है, तो अगले उच्च प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।  (ii) प्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पास रु 25 लाख तक की शक्तियाँ होंगी।  (iii) सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पास रु 10 लाख तक की शक्तियाँ होंगी।
9.4	निविदा आमंत्रण सूचना(एनआईटी)/आरएफक्यू/आरएफपी/ईओआई आदि का अनुमोदन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	(i) प्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पास रु 25 लाख तक की शक्तियाँ होंगी।  (ii) सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पास रु 10 लाख तक की शक्तियाँ होंगी।
9.5	सीएमसी सहित मरम्मत और रखरखाव (विमान के लिए आर एंड एम को छोड़कर)										
(ए)	न्यूनतम निविदा ('खुली'/'सीमित') की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	आरएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	आरएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें। (ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है। (i) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा एकल निविदा को स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
(सी)	आरंभ में बातचीत के द्वारा नामांकन /एकल प्रस्ताव आधार पर - मालिकाना स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	आरएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 35 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	(ii)विषय वस्तु पर भाविप्रा खरीद नियमावली के प्रावधानों /समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शक्तियाँ प्रयोग की जाएं। (ii)निविदा आमंत्रित किए बिना आरंभिक बातचीत के द्वारा कार्य सौंपे जाने के मामले में, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दरों की तर्कसंगतता से स्वयं संतुष्ट होकर पूरा कारण दर्ज किया जाना चाहिए और जिन्हें अनुचित रूप से उच्च दर पर पकड़ रखने वाली एजेंसियों से भी सावधान रहना चाहिए।
(डी)	आरंभ में बातचीत के द्वारा नामांकन /एकल प्रस्ताव आधार पर गैर-मालिकाना स्वीकृति	डब्ल्यू ए बी/पी ए बी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	डब्ल्यू ए सी/पी ए सी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	डब्ल्यू ए एससी/पी ए एस सी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	---	आरएसी की सिफारिश पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	(iii)निविदा आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान करने के मामले बहुत कम होने चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों में और जनहित में ही ऐसा किया जाए व लिखित रूप में दर्ज किया जाए। (iv)प्रोप्रीएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट (पीएसी) के द्वारा केवल ओईएम या मालिकाना अधिकार वाले निर्माताओं (या उनके एकमात्र अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट) से खरीदी जाने वाली मर्चें, ऐसे पीएसी उपयोगकर्ता / ऐसी वस्तुओं की खरीद करने वाले खरीद विभाग द्वारा जारी किया जाए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
9.6	एफ आई यू में विमान की मरम्मत और रखरखाव तथा विमान प्रचालन से संबंधित सेवाएं	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	का. नि. (एफआईयू) - डीजीसीए द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के साथ लेनदेन के लिए प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	सीमित निविदा या एकल निविदा या नामांकन के आधार पर।
9.7	पुर्जों की खरीद										
(ए)	न्यूनतम निविदा की ('खुली'/सीमित) स्वीकृति	पीएबी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पीएबी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें। (ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के संबंध में मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है। (iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा एकल निविदा को स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-1	वि नि ग्रेड- II/ संबंधित म . प्र.	वि नि ग्रेड- III/ संबंधित संयुक्त म . प्र.	वि नि ग्रेड- IV /संबंधित उ .म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स . म .प्र./ संबंधित व . प्र.	
(सी)	आरंभिक बातचीत के द्वारा नामांकन /एकल प्रस्ताव आधार पर - मालिकाना मर्दों की स्वीकृति	पीएबी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 400 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 125 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 400 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 125 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 60 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 40 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	(i) विषय वस्तु पर भाविप्रा खरीद नियमावली के प्रावधानों /समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शक्तियाँ प्रयोग की जाएं ।  (ii) निविदा आमंत्रित किए बिना आरंभिक बातचीत के द्वारा कार्य सौंपे जाने के मामले में, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दरों की तर्कसंगतता से स्वयं संतुष्ट होकर पूरा कारण दर्ज किया जाना चाहिए और जिन्हें अनुचित रूप से उच्च दर पर पकड़ रखने वाली एजेंसियों से भी सावधान रहना चाहिए ।
(डी)	आरंभिक बातचीत के द्वारा नामांकन /एकल प्रस्ताव आधार पर - गैर मालिकाना मर्दों की स्वीकृति	पी ए बी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	पी ए सी की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	(iii) निविदा आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान करने के मामले बहुत कम होने चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों में और जनहित में ही ऐसा किया जाए व लिखित रूप में दर्ज किया जाए।  (iv) प्रोप्रायटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट (पीएसी) के द्वारा केवल आईएम या मालिकाना अधिकार वाले निर्माताओं (या उनके एकमात्र अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट) से खरीदी जाने वाली मर्दें, ऐसे पीएसी उपयोगकर्ता / ऐसी वस्तुओं की खरीद करने वाले खरीद विभाग द्वारा जारी किया जाए।
9.8	प्रचालन, संरक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्य :										
9.8.1	संरक्षण अर्थात् एमईएसएस/ईएसएस (अनुरक्षण) के लिए अनुबंध देने हेतु मंजूरी ।										

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
(ए)	न्यूनतम निविदा ('खुली'/'सीमित') की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 600 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिशों पर प्रति सन्दर्भ रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 600 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 400 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 400 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिशों पर प्रति सन्दर्भ रु 1000 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 400 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 35 लाख तक की शक्तियाँ	(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें। (ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के संबंध में मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है।  (iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9.8.2	सुरक्षा, घास/पेड़ काटने, कीट नियंत्रण, पक्षी खतरों, मलेरिया-रोधी, एंटी रोडेंट, कचरा/एफओडी निपटान, संरक्षण, कैफेटेरिया (कैंटीन) अनुबंध आदि और सीआरएसडी, डीआरसी, एफआईयू आदि के निदेशालयों और टर्मिनल प्रबंधन/यात्री सुविधा से संबंधित यात्री सुविधाओं सहित अन्य संबंधित सेवाओं का अनुबंध प्रदान करना।										

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
(ए)	न्यूनतम निविदा की स्वीकृति ('खुली'/'सीमित')	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिशों पर प्रति सन्दर्भ रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	रु 120 लाख तक की शक्तियाँ	आरएसी की सिफारिशों पर प्रति सन्दर्भ रु 300 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 120 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 60 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें। (ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के संबंध में मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है।  (iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9.9	प्रिंटिंग और स्टेशनरी, जनरल स्टोर, संरक्षण/शौचालय स्टोर/फोटोकॉपी/फोटोग्राफी कार्य आदि सहित अन्य उपभोग्य वस्तुएं।										
(ए)	न्यूनतम निविदा की स्वीकृति ('खुली'/'सीमित')	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 6 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 4 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 6 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 6 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 4 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति सन्दर्भ रु 0.60 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें।</p> <p>(ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के संबंध में मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है।</p> <p>(iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।</p> <p>(iv) रु25000/- से अधिक की खरीद/नौकरियों/कार्यों के लिए, इस पैरा के तहत शक्तियों का प्रयोग तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें कम से कम एक सदस्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, वित्त विभाग से हो। समिति अनुमोदन करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी।</p> <p>(v) इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जैम पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं को केवल जैम से ही खरीदा जाए।</p>
9.10	असाइनमेंट/ रिटेनरशिप के आधार पर सलाहकारों/एजेंसियों/संस्थानों की नियुक्ति										
(ए)	न्यूनतम निविदा ('खुली'/'सीमित') की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
(बी)	एकल निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(i) पैरा 1.42 का संदर्भ लें।</p> <p>(ii) यह पैरा खुली या सीमित निविदाओं के संबंध में मूल्यांकन के बाद एकल प्रतिक्रिया / एकल योग्य बोली कवर करता है।</p> <p>(iii) एकल निविदा की स्वीकृति के लिए संबंधित निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए औचित्य के आधार पर निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। उद्धृत दरों की तर्कसंगतता संबंधित निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।</p> <p>(iv) नामांकन के आधार पर अपवादस्वरूप सलाहकारों की नियुक्ति के मामले में, अनुबंध प्रदान करने के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।</p>
(सी)	नामांकन के आधार पर आईआईटी/ एनआईआईटी आदि जैसी सरकारी एजेंसियों को कार्य अवार्ड करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 करोड़ तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2 करोड़ तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 करोड़ तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 2 करोड़ तक की शक्तियाँ	---	---	---	इस पैरा का उपयोग विशेषज्ञ तकनीकी सलाह प्राप्त करने के लिए किया जाएगा न कि नियमित कार्य जैसे सर्वेक्षण, डीपीआर तैयार करना आदि के लिए।
9.11	पायलटों/सह-पायलटों, एनएसओपी पद धारकों आदि को संविदा पर रखना।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	का. नि. (एफआईयू) - प्रति वर्ष रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	<p>(i) इस विषय पर जारी नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार।</p> <p>(ii) का. नि. (एफआईयू) केवल एनएसओपी पद धारकों काम पर रखने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे।</p>
9.12	प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर व्यय की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	इस विषय पर जारी नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि गेड-1	वि नि गेड-II/ संबंधित म . प्र.	वि नि गेड-III/ संबंधित संयुक्त म .प्र.	वि नि गेड-IV /संबंधित उ .म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स . म .प्र./ संबंधित व . प्र.	
9.13	किराया प्रभार:										
(ए)	आवास किराए पर लेना: कर्मचारियों के लिए पट्टे पर आवास को मंजूरी देना और कार्यालय के उद्देश्य के लिए आवास किराए पर लेना, जिसमें सीआईएसएफ बैरकों के लिए आवास किराए पर लेना भी शामिल है।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	(i) मानव संसाधन / प्रशासन निदेशालय द्वारा निपटाया जाए ।  (ii) मामले पर नियमों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार।
(बी)	सीआईएसएफ के लिए वाहनों को किराए पर लेने सहित कारों/वाहनों को किराए पर लेना	पूर्ण शक्तियाँ	रु 1500 लाख प्रति सन्दर्भ तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख प्रति सन्दर्भ तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख प्रति सन्दर्भ तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	दर अनुबंध सहित
(सी)	अन्य पीएसयू/ सरकारी/ गैर सरकारी एजेंसियों से एक्स-रे बेगज और अन्य सुरक्षा उपकरण किराए पर लेना।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	प्रस्ताव का औचित्य दर्शाने के लिए किराए पर लेने के पूरे कारण दर्ज किए जाएं।
(डी)	जनशक्ति किराए पर लेना ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु6 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 4 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु2 लाख तक की शक्तियाँ	इस विषय पर जारी नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार।
(ई)	अन्य किराया प्रभार	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रस्ताव का औचित्य दर्शाने के लिए किराए पर लेने के पूरे कारण दर्ज किए जाएं।
9.14	लीज फाइनेंसिंग: सामान्य हायरिंग के अलावा लीज फाइनेंसिंग/वाहनों/मशीनरी/उपकरण आदि को लीज पर लेना	पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिशों पर प्रति संदर्भ रु3000 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	आरएसी की सिफारिशों पर प्रति संदर्भ रु1000 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि ग्रेड-1	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
9.15	पेट्रोल, डीजल, तेल और लुब्रिकेंट्स की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु50 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु15 लाख तक की शक्तियाँ	नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार।
9.16	एटीएफ की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	एफआईयू-उड़ान की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	
9.17	मूल उपकरण निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलर/सरकारी एजेंसियों को विशेष प्रकार के उपकरणों के लिए रखरखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध हेतु अग्रिम अनुदान।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 50% तक की शक्तियाँ	---	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 50% तक की शक्तियाँ	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 25% तक की शक्तियाँ	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 25% तक की शक्तियाँ	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 25% तक की शक्तियाँ	उनके और उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध मूल्य के 25% तक की शक्तियाँ	जहां तक संभव हो, कारी प्रदान करने के लिए आदेश देने पर आपूर्तिकर्ताओं को दिए जाने वाले अग्रिमों से बचना चाहिए। हालांकि, जहां यह अपरिहार्य है तो प्राधिकारी अग्रिम और बीजी के समय एसबीआई प्राइम लेंडिंग रेट के समान इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बीजी और ब्याज की छूट: (i) अग्रिम भुगतान पर बीजी और ब्याज की छूट: अध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ  (ii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान पर बीजी और ब्याज की छूट: पूर्णकालिक सदस्यों को पूर्ण शक्तियाँ  (iii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान पर बीजी और ब्याज की छूट: क्षे. का. नि. /का. नि. स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिए एवार्ड राशि के 10% तक।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स. म.प्र./ संबंधित व. प्र.	
9.18	सीएनएस/एटीएम सिस्टम के परीक्षण उपकरणों के कैलिब्रेशन के लिए एजेंसियों/प्रयोगशालाओं को 100% तक अग्रिम अनुदान (बैंक गारंटी के बिना)	पूर्ण शक्तियाँ				केवल सरकारी एजेंसियों/प्रयोगशालाओं के लिए पूर्ण शक्तियाँ		---	---	---	
9.19	सरकारी प्राधिकरण/सरकारी एजेंसियों को वित्तीय बैंक गारंटी/कॉशन मनी/सिक्क्योरिटी आदि जमा करना।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ			उनके या उनके नीचे के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के लिए पूर्ण शक्तियाँ					कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रावधानों के अधीन।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय -9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ विनिग्रेड-1	विनिग्रेड-II/ संबंधित म. प्र.	विनिग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म. प्र.	विनिग्रेड-IV /संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स.म.प्र./ संबंधित व.प्र.	
9.20	निविदा आमंत्रित किए बिना खरीद (स्पॉट खरीद)										
(ए)	सामान्य वस्तुओं/ विविध सेवाओं की खरीद	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु1.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु1.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.35 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.25 लाख तक की शक्तियाँ	निविदा न बुलाए जाने का औचित्य दर्ज किया जाए और प्रभारी अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर / स्पेयर पार्ट्स सही मर्दें हैं। इन मर्दों की खरीद के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर रखा जाना चाहिए। (i) रखरखाव के लिए सीधे जिम्मेदार अभियांत्रिकी/तकनीकी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित इम्प्रेस्ट उन्हें विभागाध्यक्ष/ एपीडी/ स्टेशन प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
(बी)	वीआईपी/पैसेंजर लाउंज जैसे स्थानों के लिए आवश्यक खरीद सहित आंतरिक सजावट	प्रति संदर्भ रु10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु6 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु0.75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु0.25 लाख तक की शक्तियाँ	(ii) पैरा (बी) के तहत मर्दों के लिए, खरीद तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा ही की जाएगी जिसमें एक सदस्य वित्त विभाग का होगा। (iii) प्लानिंग, डिजाइनिंग, ड्राइंग और टेंडरिंग कार्य के लिए जिम्मेदार अभियांत्रिकी/ तकनीकी उ.म.प्र./व.प्र./प्रबन्धक/स.प्र.अधिकारियों द्वारा अपेक्षित इम्प्रेस्ट के लिए, विमानपत्तन नियंत्रक/समकक्ष रैंक के स्टेशन प्रभारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। (iv) रु25000/- प्रति संदर्भ से अधिक की खरीद के लिए समिति गठन की प्रक्रिया अपनाई जाए। (v) रु25,000/- तक की वस्तुओं और सेवाओं की स्पॉट खरीद के लिए कोटेशन की आवश्यकता नहीं है। (vi) इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जैम पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं को केवल जैम से ही खरीदा जाए।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**अध्याय -9**

**राजस्व व्यय प्रस्ताव**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	संबंधित म. प्र.	क्षे. का. नि. / प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि नि ग्रेड-I	वि नि ग्रेड-II/ संबंधित म . प्र.	वि नि ग्रेड-III/ संबंधित संयुक्त म . प्र.	वि नि ग्रेड-IV /संबंधित उ .म.प्र.	प्रभारी अधिकारी/स . म .प्र./ संबंधित व . प्र.	
9.21	प्रदर्शनी/प्रचार/ प्रायोजन आदि से संबंधित व्यय।	विदेश सहित पूर्ण शक्तियाँ	रु100 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु50 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु25 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु50 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु25 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु15 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु10 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु5 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित 'निगमित संचार' नीति के अधीन।
9.22	इस संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदाओं/भर्ती/अधिसूचनाओं आदि के लिए विज्ञापन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित, महाप्रबंधक (नि. सं.) द्वारा जारी प्रारूपों के अनुसार विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए मितव्ययिता का प्रयोग किया जाए।
9.23 (ए)	कैश-इन-चेस्ट / कैश-इन-ट्रांजिट का बीमा, फिडेलिटी बीमा, मैटीरियल-इन-ट्रांजिट, अनिवार्य बीमा जैसे वाहन बीमा और अन्य प्रकार के बीमा, यथावश्यक सदस्य द्वारा यथा अनुमोदित।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	
9.23 (बी)	बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा दावों की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रचालन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी के अनुसार
9.23 (सी)	समय-समय पर यथा संशोधित और भाविप्रा (हवाईअड्डों का प्रबंधन) विनियम, 2003 के तहत भाविप्रा संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	
9.24	<b>जनता को पुरस्कार</b> - दुर्घटना/हवाई दुर्घटना/विस्फोट आदि की रोकथाम में मदद के लिए और प्राधिकरण के सुचारु संचालन के लिए की गई सहायता हेतु ।	प्रत्येक मामले में रु1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.05 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.03 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य.निदे .	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.25 (ए)	पुस्तकों / अधिनियमों / पत्रिकाओं / नियमावली की खरीद: पुस्तकों, मैनुअल आदि की खरीद या डिजिटल संस्करण सहित किसी भी प्रकाशन को अंशदान पर व्यय को मंजूरी देने के लिए जिसे प्राधिकरण के लिए लाभदायक या रुचिकारक माना जा सकता है	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	रु5 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु2 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु5 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु2 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु1 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु0.50 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	रु0.25 लाख प्रति वर्ष तक की शक्तियाँ	
9.25 (बी)	डिजिटल संस्करण सहित इकाओ / आईएटीए / आईटीयू / ओईएम आदि के विनियामक दस्तावेजों की खरीद/का अंशदान	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	
9.25 (सी)	व्यावसायिक निकायों के लिए अंशदान: शैक्षिक, व्यावसायिक, विमानन निकायों, सामाजिक संस्थानों आदि की सदस्यता, यदि ऐसी सदस्यता प्राधिकरण के लिए लाभकारी हो तो लेने के लिए अंशदान पर व्यय को मंजूरी।	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी वि नि / -ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.26	बागवानी व्यय : टर्मिनल /अनुषंगी भवनों के अंदरुनी भाग सहित बागवानी /लैंडस्केपिंग आदि पर व्यय	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 60 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 60 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	निविदा आमंत्रित करके
9.27	सर्वेक्षण : विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन के लिए निम्नतम निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	
9.28 (ए)	अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	प्रतिवर्ष रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	
9.28 (बी)	कार्यालयीन बैठकें / सम्मेलन / समारोह / कार्यशालाएं आदि	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 50 लाख के अधीन, प्रति संदर्भ रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 25 लाख के अधीन, प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 15 लाख के अधीन, प्रति संदर्भ रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 7.50 लाख के अधीन, प्रति संदर्भ रु 1.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 1.50 लाख तक की शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्रसं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी वि नि / -ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.29	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों को देय सांविधिक कर / शुल्क अथवा कोई अन्य राशि यथा गारंटी शुल्क, संपत्ति कर आदि ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ। हालांकि, विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज और जुर्माने के लिए शक्तियाँ प्रति वर्ष रु 5 लाख तक सीमित होंगी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ। हालांकि, विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज और जुर्माने के लिए शक्तियाँ प्रति वर्ष रु 5 लाख तक सीमित होंगी	पूर्ण शक्तियाँ विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज, जुर्माने के अलावा	पूर्ण शक्तियाँ विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज, जुर्माने के अलावा	पूर्ण शक्तियाँ विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज, जुर्माने के अलावा	पूर्ण शक्तियाँ विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज, जुर्माने के अलावा

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं .	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदेश	संबंधित महा प्रबंध	क्षेत्र कार्य निदेश / प्रधानाचार्य सीएटीसी वि नि / -ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबंध	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबंध	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबंध	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.30 (ए)	स्टोर्स और अन्य सामग्री की एयरलिफ्टिंग को अधिकृत करना	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति मंजूरी रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रचालन अनिवार्यता पर सीएनएस/ आईटी/ एएस पुर्जा/ सीएफटी पुर्जा/ एम टी पुर्जा के संबंध में और छोटे अवयवों या जहां किसी अन्य परिवहन की तुलना में हवाई माल सस्ता/ सुरक्षित है, के संबंध में प्रति मंजूरी रु 2 लाख तक की शक्तियाँ ।	प्रति मंजूरी रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति मंजूरी रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति मंजूरी रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति मंजूरी रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति मंजूरी रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	एस एम यू प्रभारी के पास प्रति संदर्भ रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ होंगी ।
9.30 (बी)	रेल / सड़क आदि से स्टोर्स और माल के लिए अधिकृत परिवहन	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	
9.31	विद्युत और जल प्रभार	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.32	विलंब शुल्क / दंड प्रभार	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.75 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	- -	---	विलंब शुल्क लगाने के कारणों को रिकॉर्ड किया जाए। संबंधित अधिकारी की लापरवाही के कारण विलंब शुल्क के मामले में, देरी के कारण की तुरंत जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
9.33	धर्मार्थ संगठनों / व्यावसायिक संस्थानों / राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खेल संगठनों आदि को दान	प्रत्येक मामले में रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	सदस्य (एचआर) - प्रत्येक मामले में रु ₹0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	
9.34	सरकारी मेहमानों के मनोरंजन के लिए कार्यालय आकस्मिकता पर व्यय	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 0.30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 0.20 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	नि मु के अलावा अन्य के मामलों में, महा प्रबं / संयुक्त महा प्रबं / उप महा प्रबं /सहा महा प्रबं / व प्रब को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग केवल प्रशासनिक प्रमुख द्वारा किया जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड 1	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.35	माल और सेवाओं के लिए भाविप्रा खरीद नियमावली में प्रावधानों के अनुसार विकल्प खंड का संचालन ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 25 लाख तक की शक्तियाँ		प्रस्तावित मात्रा मूल आदेश के 30% से अधिक नहीं होगी ।					<p>i) इस खंड के अंतर्गत, खरीददार वर्तमान अनुबंध के समान नियमों और शर्तों के अनुसार अतिरिक्त मात्रा (आमतौर पर 30%) के लिए ऑर्डर देने का अधिकार रखता है। तथापि, संबंधित निदेशालय यह प्रमाणित करेगा कि कीमतों में कोई गिरावट नहीं है।</p> <p>(ii) यह अनुबंध के प्रचलन के भीतर ही लागू होगा।</p> <p>(iii) खरीद निदेशालय को यह पुष्टि करनी होगी कि कीमतों में कोई गिरावट नहीं है।</p> <p>(iv) मूल खरीद प्रतिस्पर्धी आधार पर होनी चाहिए ।</p> <p>(v) यदि अनुबंध का मूल्य मूल निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की प्रदत्त शक्तियाँ से अधिक हो जाता है तो अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कुल राशि प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी के 10% से अधिक है, तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।</p>
9.36	राजस्व व्यय अनुबंध का विस्तार: ऐसे मामले में जहां नई निविदा / अनुबंध के विस्तार का प्रस्ताव यहां उल्लिखित अधिकारी की शक्तियों से परे है और केवल अत्यावश्यकता के मामले में ही इसका प्रयोग किया जाएगा ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	मौजूदा अनुबंधों की समाननियम एवं शर्तों पर 12 महीने तक के लिए शक्तियाँ ।	---	प्रति संदर्भ 6 महीने तक, लेकिन 12 महीने से अधिक नहीं, की शक्तियाँ ।	प्रति संदर्भ 3 महीने तक, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं, की शक्तियाँ ।				उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां अनुबंध समाप्त न हुआ हो (कारण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ) और ऐसे मामले, अनुबंध अनुमोदित करने हेतु, सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड 1	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.37 (ए)	व्याख्यान / जांच कार्यवाही आदि के लिए कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करना	पूर्ण शक्तियाँ	मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ	मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ	---	मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ	---	---	---	---	
9.37 (बी)	आईईएम (स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर) आदि जैसी विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने के लिए मानदेय की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ	मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ		मानव संसाधन नीति / परिपत्र के अनुसार शक्तियाँ					
9.38 (ए)	अनुकरणीय साहस, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए कर्मचारियों को मानदेय / नकद पुरस्कार प्रदान करना	प्रति व्यक्ति प्रति संदर्भ ₹50000 तक की शक्तियाँ	प्रति व्यक्ति प्रति संदर्भ ₹25000 तक की शक्तियाँ	प्रति व्यक्ति प्रति संदर्भ ₹15000 तक की शक्तियाँ	---	प्रति व्यक्ति प्रति संदर्भ ₹15000 तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	
9.38 (बी)	चयन समिति पर विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने के लिए मानदेय प्रदान करना।	पूर्ण शक्तियाँ	प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ ₹10000 तक की शक्तियाँ	प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ ₹5000 तक की शक्तियाँ	---	प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ ₹5000 तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार। प्रत्येक समिति के लिए बाहरी विशेषज्ञों की संख्या अध्यक्ष के अनुमोदन से मानव संसाधन निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड 1	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.39 (ए)	विभागीय लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने / जांच एवं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए मानदेय	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	पैरा 2.3(ए) के अंतर्गत नियुक्ति / पदोन्नति के संबंध में रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।
9.39 (बी)	इन-हाउस ट्रेनिंग फैकल्टी के लिए शुल्क / मानदेय की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 5 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 10,000 तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 5,000 तक की शक्तियाँ	---	प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 5,000 तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।
9.40 (ए)	गेस्ट ट्रेनिंग फैकल्टी	पूर्ण शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 5 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 10,000 तक की शक्तियाँ	प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 5,000 तक की शक्तियाँ	---	प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख के अधीन, प्रतिदिन प्रति विशेषज्ञ रु 5,000 तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का. नि.	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड I	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.40 (बी)	बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों /एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण / भागीदारी शुल्क पर व्यय	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ (विदेशी मुद्रा भुगतान को छोड़कर)	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	---	प्रति संदर्भ रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	डीओपी के पैरा 2.10 (ए) और (बी) के तहत अनुमोदन के अधीन ।
9.40 (सी)	डीजीसीए सीएआर के अनुपालन में एफआईयू कू के नियामक प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए और लाइसेंस को बनाए रखने के लिए अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण प व्यय।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ (विदेशी मुद्रा भुगतान को छोड़कर)	का.नि. (एफआईयू) - प्रति संदर्भ रु 30 लाख तक की शक्तियाँ (विदेशी मुद्रा भुगतान को छोड़कर)	---	---	---	---	---	---	
9.41	डेटा लाइन्स / स्पीच सर्किट / सेवा प्रदाताओं के लिए इंटरनेट पर व्यय और डीओटी / डब्ल्यूपीसी / डीजीएफटी आदि को दिये जाने वाले अन्य सांविधिक प्रभार ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्ति याँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	जहां भी लागू हो, दूरभाष नीति में परिभाषित अनुमेय सीमा के लिए पात्रता के अनुसार प्रतिबंधित किया जाए । अनुमेय सीमा से अधिक एक्सेस के मामले में, संबंधित सदस्य का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का. नि.	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.42	राजभाषा संबंधी गतिविधियों पर व्यय	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 4 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 3 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति वर्ष रु 2.50 लाख तक की शक्तियाँ	निगमित मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार।
9.43	अन्य कार्यालय व्यय	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.07 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 0.05 लाख तक की शक्तियाँ	
9.44 (ए)	चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही या किसी अन्य कारणों से नकदी का नुकसान बट्टे खाते डालना	प्रत्येक मामले में रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	रु 1 लाख से अधिक के नुकसान के प्रत्येक मामले के लिए उसे बट्टे खाते डालने हेतु भाविप्रा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
9.44 (बी)	चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही या किसी अन्य कारणों से (नकद के अलावा) नुकसान	प्रत्येक मामले में रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	प्रत्येक मामले में रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदेश	संबंधित महा प्रबंध	क्षेत्र कार्य निदेश / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि श्रेड 1	वि नि श्रेड II / संबंधित महा प्रबंध	वि नि श्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबंध	वि नि श्रेड-IV / संबंधित उप महा प्रबंध	प्र. अधिस. / महा प्रबंध / संबंधित व प्रबंध	
9.45	कर्मचारियों या एयरलाइंस और रियायत पाने वालों आदि सहित अन्य बाहर की पार्टियों से अप्राप्य कर्ज, अग्रिम, ऋण और अन्य देय राशि को बट्टे खाते डालना	प्रति अनुबंध रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति अनुबंध रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति अनुबंध रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	---	प्रति अनुबंध रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति अनुबंध रु 0.50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति अनुबंध रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति अनुबंध रु 0.10 लाख तक की शक्तियाँ	---	<p>(i) ये शक्तियाँ ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन हैं जो इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।</p> <p>(ii) कर्मचारियों से अप्राप्य कर्ज, अग्रिम, ऋण और अन्य देय राशि मानव संसाधन निदेशालय के परामर्श से की जाएगी। का नि (मा सं ) और सदस्य (मा सं ) इन शक्तियाँ का प्रयोग कर सकते हैं।</p> <p>(iii) इस पैरा में निम्नलिखित मामले शामिल हैं:                      I. जहां देय राशियों को वसूली योग्य नहीं माना जाता है; या                      II. जहां वसूली किया जाने वाला संभावित व्यय देय राशि के सही अनुपात में नहीं है;                      III. जहाँ कानूनी कार्यवाही वांछनीय नहीं मानी जाती है</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी वि नि / -गेड1	वि नि गेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि गेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि गेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.46 (ए)	पूँजीगत परिसंपत्ति को खत्म करना / बट्टे खाते डालना जो सामान्य टूट-फूट के कारण अनुपयोगी हो गयी है या किफायती मरम्मत से परे मानी गई है (इंगित सीमा के अनुसार, जो अधिग्रहण लागत या बुक वैल्यू, जो भी अधिक हो, का 5% है)	(i)प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 100 लाख तक की शक्तियाँ (ii)प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	(i)प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 50 लाख तक की शक्तियाँ (ii)प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	---	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, जहां कहीं राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	(i) सर्वेक्षण नीति के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति की अनुपयोगिता के लिए दिशानिर्देशों के अधीन परिसंपत्तियों की निर्धारित अवधि के बाहर और/या किफायती मरम्मत से बाहर है। यदि, न तो अधिग्रहण लागत और न ही बुक वैल्यू उपलब्ध है तो पूंजीगत परिसंपत्ति के 'मूल्य' का मूल्यांकन इंजीनियरिंग, वित्त और संबंधित विभाग के अधिकारियों से गठित समिति द्वारा किया जाएगा। 'मूल्य' को अधिग्रहण लागत के रूप में मानते हुए पूंजीगत परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डालने के मामले को तैयार किया जाएगा और तदनुसार निपटाया जाएगा।  (ii) नि मु के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे /गेड 1 हवाईअड्डे के संबंधित विमानपतन निदेशक, जैसा भी मामला हो, को अधिशेष या अनुपयोगी पूंजीगत संपत्ति घोषित करने का अधिकार होगा। ये अधिकारी एक समिति का गठन करेंगे जो अधिशेष/अनुपयोगी घोषित वस्तुओं के लिए मूल्य आरक्षित करेंगी। समिति नई कार्य नियमावली के भवन/संरचनाओं से संबन्धित पैरा 12.5.3 के अनुसार आरक्षित मूल्य निर्धारित करेगी। उपकरण/भंडार के लिए एमएम निदेशालय /बाजार सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित मूल्य नियत किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित आरक्षित मूल्य नि मु के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे /गेड 1 हवाई अड्डे के संबंधित विमानपतन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और जहां पर संबंधित कार्य निदे तैनात नहीं है, आरक्षित मूल्य अगले उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसी प्रकार वि नि गेड-I से नीचे के स्टेशनों के मामले में, स्टेशन प्रभारी ऊपर बताए अनुसार आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करेंगे और संबंधित क्षे कार्य निदे स्टेशन प्रभारी की सिफारिशों पर आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड I	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.46 (बी)	अप्रचलन के कारण पूंजीगत परिसंपत्ति को छोड़ना / बट्टे खाते डालना (इंगित सीमा के अनुसार, जो अधिग्रहण लागत या बुक वैल्यू, जो भी अधिक हो, का 5% है)	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	---	मानदंडो का अनुपालन करते हुए प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	मानदंडो का अनुपालन करते हुए प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	मानदंडो का अनुपालन करते हुए प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति के लिए, रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	(i) इस संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन, प्राधिकरण पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान का आदेश दे सकता है, जो डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निर्माता की विशिष्ट सिफारिशों के परिणामस्वरूप या सेल्फ लाइफ मेकिंग एसेट की समाप्ति के कारण, सांकेतिक सीमा तक भंडारण में गैर-क्रियायती होने के कारण अप्रचलित हो सकते हैं। (ii) नि.मु. के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे / ग्रेड 1 हवाई अड्डे के संबंधित विमानपत्तन निदेशक, जैसा भी मामला हो, को पूंजीगत संपत्ति के अप्रचलन की घोषणा करने का अधिकार होगा। ये अधिकारी अधिशेष/अनुपयोगी घोषित वस्तुओं के लिए आरक्षित मूल्य तय करने के लिए एक समिति नामित करेंगे। समिति नई कार्य नियमावली के भवन/संरचनाओं से संबंधित पैरा 12.5.3 के अनुसार आरक्षित मूल्य निर्धारित करेगी उपकरण/भंडार के लिए एमएम निदेशालय /बाजार सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित मूल्य नियत किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित आरक्षित मूल्य नि.मु. के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे / ग्रेड 1 हवाई अड्डे के संबंधित विमानपत्तन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और जहां पर संबंधित कार्य निदे तैनात नहीं है, आरक्षित मूल्य अगले उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसी प्रकार वि.नि. ग्रेड-I से नीचे के स्टेशनों के मामले में, स्टेशन प्रभारी ऊपर बताए अनुसार आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करेंगे और संबंधित क्षे कार्य निदे स्टेशन प्रभारी की सिफारिशों पर आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन											
अध्याय 9											
राजस्व व्यय प्रस्ताव											
क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड I	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड -III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि स / महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.47	अनुपयोगी / अप्रचलित स्टोर्स को / राइट-ऑफ करने की शक्तियाँ (इंगित सीमा के अनुसार, जो अधिग्रहण लागत या बुक वैल्यू, जो भी अधिक हो, का 5% है)	प्रत्येक लॉट के लिए जहां राइट-ऑफ मानदंडों का पालन किया जाता है, रु 100 लाख तक की शक्तियाँ (ii)प्रत्येक लॉट के लिए जहां राइट-ऑफ मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 25 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 15 लाख तक की शक्तियाँ	प्रत्येक लॉट के लिए रु 5 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	(i) संबंधित विभाग के एक तकनीकी व्यक्ति, विभाग से बाहर के एक तकनीकी व्यक्ति से मिलकर बनी एक समिति समय-समय पर 6 माह के अंतराल पर राइट-ऑफ की जाने वाली वस्तुओं की पहचान करेगी। वित्त प्रतिनिधि को शामिल करना आवश्यक है।  (ii) नि मु के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे / ग्रेड 1 हवाई अड्डे के संबंधित विमानपत्तन निदेशक को जैसा भी मामला हो, स्टोर को अधिशेष या अनुपयोगी घोषित करने का अधिकार होगा। ये अधिकारी एक समिति का गठन करेंगे जो अधिशेष/अनुपयोगी घोषित वस्तुओं के लिए मूल्य आरक्षित करेगी। समिति नई निर्माण नियमावली के भवन/संरचनाओं से संबंधित पैरा 12.5.3 के अनुसार आरक्षित मूल्य निर्धारित करेगी। उपकरण/भंडार के लिए एमएम निदेशालय /बाजार सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित मूल्य नियत किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित आरक्षित मूल्य नि मु के संबंधित कार्य निदे / क्षे कार्य निदे / ग्रेड 1 हवाई अड्डे के संबंधित विमानपत्तन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और जहां पर संबंधित कार्य निदे तैनात नहीं है, आरक्षित मूल्य अगले उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसी प्रकार वि नि ग्रेड-I से नीचे के स्टेशनों के मामले में, स्टेशन प्रभारी ऊपर बताए अनुसार आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करेंगे और संबंधित क्षे कार्य निदे स्टेशन प्रभारी की सिफारिशों पर आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड I	वि नि ग्रेड II / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड - IIIII / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IIV / संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि स / महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.48 (ए)	पूँजीगत मदों की बिक्री /स्क्रैपिंग के लिए खुली/ सीमित निविदाओं के माध्यम से उच्चतम निविदा की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 200 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(i) ऐसे मामले में जहां बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से कम है तो स्वीकृति निर्णय का प्रयोग यहाँ उल्लिखित प्राधिकारी के अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अध्यक्ष डब्ल्यूएबी की सिफारिश पर ऐसे मामलों में भी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेंगे।</p> <p>(ii) इसके अलावा, रु 70 लाख से अधिक की लागत वाली संरचना के संबंध में,</p> <p>(i) अध्यक्ष डब्ल्यूएबी के परामर्श से आरक्षित मूल्य से कम की बोलियां/निविदाएं स्वीकार करेंगे।</p>
9.48 (बी)	पूँजीगत मदों की बिक्री /स्क्रैपिंग के लिए खुली/ सीमित निविदाओं के माध्यम से एकल निविदा की स्वीकृति	डब्ल्यूएबी (WAB) की सिफारशों पर पूर्ण शक्तियाँ	डब्ल्यूएसी (WAC) की सिफारशों पर रु 150 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 70 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 100 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 70 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 50 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	प्रति संदर्भ रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	<p>(ii) विज्ञापित/सीमित निविदा मामलों में भावि प्रा कभी-कभी पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं कर पाता है और/या बोलियों का विश्लेषण करने के बाद अंत में केवल एक बोली ही रह जाती है - इस स्थिति को 'एकल प्रस्ताव' कहा जाता है। सिंगल ऑफर की ऐसी स्थिति को सिंगल टेंडर माना जाएगा। अनुबंध बोलीदाता 'एकल निविदा' को दिया जा सकता है, बशर्ते उद्धृत मूल्य उचित हो।</p> <p>(i)(ii) ऐसे मामले में जहां बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से कम है, स्वीकृति निर्णय का प्रयोग यहाँ उल्लिखित प्राधिकारी से अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।</p> <p>हालांकि, अध्यक्ष डब्ल्यूएबी की सिफारिश पर ऐसे मामलों में भी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेंगे।</p> <p>इसके अलावा, रु 70 लाख से अधिक की लागत वाली संरचना के संबंध में, अध्यक्ष डब्ल्यूएबी के परामर्श से आरक्षित मूल्य से कम की बोलियां/निविदाएं स्वीकार करेंगे।</p>

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड1	वि नि ग्रेडII / संबंधित महा प्रबं	वि नि ग्रेड - IIIII / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड- IIV / संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि स / महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.49 (ए)	अधिशेष या अनुपयोगी घोषित स्टोर्स के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य से ऊपर की निविदा की स्वीकृति जहां खरीद मूल्य ज्ञात होता है	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	(i) आरक्षित मूल्य से कम मूल्य वाली बोली या निविदाएं स्वीकार करने के निर्णय का प्रयोग यहाँ उल्लिखित प्राधिकारी से अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।  (ii) रु 15 लाख से अधिक की लागत वाले अधिशेष स्टोर्स के संबंध में यदि अनुमानित खरीद मूल्य ज्ञात नहीं है तो अध्यक्ष डब्ल्यूएबी के परामर्श से; और ज्ञात खरीद मूल्य के मामले में, संबंधित का नि आरक्षित मूल्य से कम की बोलियों/निविदाओं को स्वीकार करेंगे ।
9.49 (बी)	अधिशेष या अनुपयोगी घोषित स्टोर्स के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य से ऊपर की निविदा की स्वीकृति जहां सामग्री का मूल खरीद मूल्य अनुमानित होने के कारण ज्ञात यदि नहीं होता है	पूर्ण शक्तियाँ:	रु 30 लाख तक की शक्तियाँ	रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	रु 10 लाख तक की शक्तियाँ	रु 2 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1.5 लाख तक की शक्तियाँ	रु 1 लाख तक की शक्तियाँ	रु 0.20 लाख तक की शक्तियाँ	(i)आरक्षित मूल्य से कम मूल्य वाली बोली या निविदाएं स्वीकार करने के निर्णय का प्रयोग यहाँ उल्लिखित प्राधिकारी से अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।  (ii)रु 15 लाख से अधिक की लागत वाले अधिशेष स्टोर्स के संबंध में यदि अनुमानित खरीद मूल्य ज्ञात नहीं है तो अध्यक्ष डब्ल्यूएबी के परामर्श से; और ज्ञात खरीद मूल्य के मामले में, संबंधित का नि आरक्षित मूल्य से कम की बोलियों/निविदाओं को स्वीकार करेंगे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय 9

राजस्व व्यय प्रस्ताव

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
		अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्य निदे	संबंधित महा प्रबं	क्षे कार्य निदे / प्रधानाचार्य सीएटीसी / -वि नि ग्रेड1	वि नि ग्रेड-II II	वि नि ग्रेड-III III / संबंधित संयुक्त महा प्रबं	वि नि ग्रेड-IV IV/ संबंधित उप महा प्रबं	प्र अधि / स महा /प्रब संबंधित व प्रब	
9.50	अनुबंध समझौतों पर हस्ताक्षर	<p>(i) रु 300 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के अनुबंधों के लिए अनुबंधसमझौते पर संबंधित महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p> <p>(ii) रु 300 करोड़, से कम मूल्य के अनुबंधों के लिए संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक उन निविदाओं के संबंध में अनुबंध समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके और उनसे ऊपर के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जाती हैं ।</p> <p>(iii) संबंधित सहायक महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबंधक/सहायक प्रबन्धक उनके द्वारा स्वीकार की गई निविदाओं के संबंध में अनुबंध समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।</p>									
9.51	अग्रदाय/विभागीय अयिम की स्वीकृति	पूर्ण शक्तियाँ									<p>(i) वित्त निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।</p> <p>(ii) वित्त निदेशालय के परामर्श से पिछले वर्ष में इकाई के प्रति माह औसत व्यय के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली अग्रदाय की राशि।</p>

## परिशिष्ट A

डीओपी पैरा 9.10 (सी) देखें - विशिष्ट एजेंसियों की सूची

सूची अलग से परिचालित की जा रही है।



सं. एएआई/सीएचक्यू/एफएंडए/डीओपी-21/स्पष्टीकरण/2021-22/07/46 दिनांक: 07 दिसंबर, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उक्षे/दक्षे/पक्षे/पूक्षे/उपूक्षे

विमानपत्तन निदेशक/प्रधानाचार्य,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नई/सीएटीसी, प्रयागराज

विषय: डीओपी पैरा 1.39 पर स्पष्टीकरण - डीओपी में उल्लिखित वित्तीय शक्ति

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालयों/हवाई अड्डों से डीओपी पैरा 1.39 के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि निविदा में वित्तीय बोलियों का तुलनात्मक विवरण देते समय जीएसटी (GST) जोड़ा जाएगा या नहीं।

डीओपी पैरा 1.39 के अनुसार "डीओपी में उल्लिखित वित्तीय शक्ति, जीएसटी और अन्य सभी करों / शुल्कों आदि सहित कुल वित्तीय निहितार्थ को दर्शाती है।"


इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि एए एंड ईएस (AA&ES) और/या निविदा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को फाइल प्रस्तुत करते समय, प्रस्ताव में सम्मिलित कुल वित्तीय निहितार्थ (जीएसटी और अन्य सभी करों/शुल्कों आदि सहित) पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण करना चाहिए जो ऐसी प्रत्याभोजित वित्तीय शक्ति का प्रयोग करेगा। तथापि, वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन केवल निविदा शर्तों के अनुसार होगा।

यह ध्यान दिया जाए कि निविदा में जीएसटी (GST) पर शर्त दिनांक 06/04/2018 के वित्त परिपत्र संख्या एएआई/सीएचक्यू/टैक्स सेल/जीएसटी-परिपत्र/2017 के अनुसार होगी जो यह कहता है कि " पार्टियों द्वारा उद्धृत की जाने वाली दरें, किसी भी कानून के तहत लगाए गए सभी करों, शुल्कों, उपकर, फीस, रॉयल्टी शुल्क आदि सहित लेकिन जीएसटी को छोड़कर होनी चाहिए, "।

*Handwritten signature/initials*

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

भवदीय,



(धर्मेन्द्र भोजवानी)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

वितरण:

1. अध्यक्ष के समग्र (कार्यपालक सहायक)
2. सदस्य (प्रचालन)/मानव संसाधन /योजना/वित्त/एएनएस/प्रमुख सर्तकता अधिकारी
3. कार्यपालक निदेशक -इंजीनियरिंग-उक्षे, उपक्षे, पक्षे, पूक्षे, दक्षे/ प्रचालन /विसं/ तकनीकी/सूप्रौ/सीएनएस (पी)/सुरक्षा/प्रशासन /वाणिज्य/मानव संसाधन /योजना /कानि वित्त (आईए)/ कानि (जेवीसी)/ कानि ( एफआईयू)/ सीआईओ
4. सभी महाप्रबन्धक (वित्त)
5. महाप्रबन्धक (सूप्रौ) - भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं.एएआई/सीएचक्यू/एफएंडए/डीओपी-21/व्हेरिफिकेशन/2021-22/47-87

03 जनवरी, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उ.क्ष./द.क्ष./प.क्ष./पू.क्ष./उ.पू.क्ष.

विमानपत्तन निदेशक/प्रधानाचार्य,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नई/सीएटीसी, प्रयागराज

विषय: एमआरएलएफ/एमएजी के बिना राजस्व अर्जन अनुबंध देने से संबंधित डीओपी पैरा 4.5 (सी);  
और मैनपावर की भर्ती से संबंधित पैरा 9.13 (डी) पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

डीओपी पैरा 4.5 (सी) के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु क्षेत्रों/हवाई अड्डों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पूछा गया है कि क्या एपीडी ग्रेड-1 के पास ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार है, और डीओपी पैरा 9.13 (डी) के संदर्भ में मैनपावर को काम पर रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में भी पूछा गया है।


इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- डीओपी पैरा 4.5 (सी)- एमआरएलएफ/एमएजी (MRLF/MAG) के बिना राजस्व अर्जन अनुबंध प्रदान करना:- डीओपी के अनुसार ग्रेड II, III और IV हवाई अड्डों के प्रस्तावों के लिए आरएसी (RAC) की सिफारिशों पर क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय और विमानपत्तन निदेशक ग्रेड- I हवाई अड्डों, अर्थात् चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों (पैरा 1.40 के तहत शामिल हवाई अड्डों सहित) से संबंधित प्रस्तावों के लिए सीएसी/ओएसी (CAC/OAC) की सिफारिशों पर संबंधित पूर्णकालिक सदस्य स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- डीओपी पैरा 9.13 (डी) - मैनपावर की भर्ती: - विशिष्ट कार्यों / प्रचालन अनुबंधों आदि के लिए मैनपावर की भर्ती डीओपी के संबंधित पैरा के अन्तर्गत की जाएगी, अर्थात् मरम्मत और रखरखाव के लिए पैरा 9.5 और 9.6, प्रचालन सुरक्षा और संरक्षा कार्यों के लिए पैरा 9.8 और पैरा 9.11 के अनुसार पायलटों/सह-पायलटों आदि का अनुबंध। अन्य मैनपावर की भर्ती डीओपी पैरा 9.13 (डी) के तहत इस विषय पर जारी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

जारी-

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

  
(धर्मेंद्र भोजवानी)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

वितरण:

1. अध्यक्ष महोदय के स.म.प्र. (निजी सहायक)
2. सदस्य प्रचालन/मा.सं./योजना/वित्त/एएनएस/सीवीओ
3. का.नि.-इंजी- उ.क्षे./उ.पू.क्षे/प.क्षे./पू.क्षे./द.क्षे./प्रचा/एएस/तक./सू.प्रौ./सीएनएस (पी)/ सुरक्षा /प्रशासन/वाणिज्य/मा.सं./योजना/ का.नि. वित्त (आई ए)/ का.नि. (जेवीसी)/ का.नि. (एफआईयू)/ सीआईओ
4. सभी महाप्रबंधक (वित्त)
5. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) - इस अनुरोध के साथ कि इसे भाविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड कर दें ।

नोट- किसी भी विवाद की स्थिति में अग्रेजी पाठ मान्य होगा ।



सं.एएआई/सीएचक्यू/एफएंडए/डीओपी-21/संशोधन/2021-22/88-128

05 जनवरी, 2022

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उ.क्षे./द.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.पू.क्षे.

विमानपत्तन निदेशक/प्रधानाचार्य,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नई/सीएटीसी, प्रयागराज

डी ओ पी: 2021 - संशोधन सं0 01

विषय: शक्तियों के प्रत्यायोजन 2021 में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन ।

महोदय,

एएआई बोर्ड ने 26 नवम्बर, 2021 को आयोजित 204वीं बोर्ड बैठक में अनुलग्नक "ए" और "बी" के रूप में शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन - 2021 में परिवर्तनों/परिवर्धनों के माध्यम से संशोधनों को मंजूरी दी है ।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । इसे सभी संबंधितों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किया जाए ।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र भोजवानी)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

संलग्नक: अनुलग्नक "ए" एवं "बी"

वितरण:

1. अध्यक्ष महोदय के स.म.प्र. (निजी सहायक)
2. सदस्य प्रचालन/मा.सं./योजना/वित्त/एएनएस/सीवीओ
3. का.नि.-इंजी- उ.क्षे./उ.पू.क्षे/प.क्षे./पू.क्षे./द.क्षे./प्रचा/एएस/तक./सू.प्रौ./सीएनएस (पी)/ सुरक्षा /प्रशासन/वाणिज्य/मा.सं./योजना/ का.नि. वित्त (आई ए)/ का.नि. (जेवीसी)/ का.नि. (एफआईयू)/ सीआईओ
4. सभी महाप्रबंधक (वित्त)
5. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) - इस अनुरोध के साथ कि इसे भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

नोट- किसी भी विवाद की स्थिति में अग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2021 में संशोधन (संशोधन/ परिवर्धन)		
डीओपी पैरा	संशोधन	विवरण
1.25 (बी) (x)	परिवर्धन	प्रचालन सलाहकार समिति (ओ ए सी ) में संबंधित का.नि.का.नि.(वाणिज्य), का.नि. (वित्त) सम्मिलित होंगे तथा संबंधित महाप्रबंधक सदस्य (सचिव) के रूप में कार्य करेंगे ।
1.25 (डी) (iii)	मौजूदा	खरीद संबंधी समिति में तीन अलग-अलग विभागों के तीन अधिकारी शामिल होंगे जिनका स्तर रु 15,000/- तक के मामले में, सहायक प्रबंधक स्तर से नीचे का न हो, व उससे अधिक के खरीद संबंधी मामलों के लिए न्यूनतम प्रबन्धक स्तर के अधिकारी होने चाहिए। तथापि, डीओपी के पैरा 9.20 के तहत खरीद के लिए वित्त अधिकारी को शामिल किया जाए।
	संशोधन	खरीद संबंधी समिति में तीन अलग-अलग विभागों के तीन अधिकारी शामिल होंगे जिनका स्तर डीओपी पैरा 9.9 (बी) और 9.20 के तहत खरीद के लिए प्रति संदर्भ रु 25,000/- से अधिक के मामले में, सहायक प्रबंधक से नीचे का न हो ।
1.26	मौजूदा	किसी भी क्षेत्रीय मुख्यालय/हवाईअड्डे/स्टेशन/यूनिट (किसी भी श्रेणी के) पर तैनात सभी महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबन्धक डीओपी के विभिन्न अध्यायों में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे । तथापि, सैद्धांतिक अनुमोदन और/या एएंडईएस यूनिट प्रमुख अर्थात् क्षे. का.नि./विनि द्वारा दिया जाएगा।
	संशोधन	किसी भी क्षेत्रीय मुख्यालय/ हवाईअड्डे/स्टेशन/यूनिट (किसी भी श्रेणी के) पर तैनात सभी महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबन्धक डीओपी के विभिन्न अध्यायों में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे । तथापि, अनुमोदित बजट/कार्य योजना में शामिल नहीं किए गए कार्यो/योजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन क्षे.का.नि./किसी भी ग्रेड के वि.नि./किसी अन्य इकाई प्रमुख प्रभारी द्वारा दिया जाएगा।
1.32	मौजूदा	सक्षम प्राधिकारी को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए समिति गठित करने की पूर्ण शक्तियां होंगी । तकनीकी मूल्यांकन समिति प्रत्येक तकनीकी बोली के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, चाहे उनकी आगे की प्रक्रिया के लिए सिफारिश की गई हो या नहीं। तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के पास तकनीकी बोली (बोलियों) को स्वीकार /अस्वीकार करने की पूर्ण शक्तियां होंगी। तकनीकी मूल्यांकन संबंधित निदेशालय /विषय क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले अन्य संबंधित निदेशालयों द्वारा किया जाएगा।
	संशोधन	सक्षम प्राधिकारी को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए समिति गठित करने की पूर्ण शक्तियां होंगी । तकनीकी मूल्यांकन समिति प्रत्येक तकनीकी बोली के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, चाहे उनकी आगे की प्रक्रिया के लिए सिफारिश की गई हो या नहीं। तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के पास तकनीकी बोली (बोलियों) को स्वीकार /अस्वीकार करने की पूर्ण शक्तियां होंगी । पूर्व योग्यता (पी क्यू) और तकनीकी मूल्यांकन संबंधित निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
1.38 (बी)	परिवर्धन	क्रमशः पैरा 8.10, पैरा 8.11 (ए) और (बी) तथा पैरा 8.12 (ए) और (बी) में परिभाषित अनुसार मात्रा में विचलन, अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दों, समय के विस्तार (मुआवजे के साथ या बिना) और पहले से लगाए गए मुआवजे से छूट/रियायत संबंधी शक्तियां , संबंधित मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार, जहाँ लागू हों, अध्याय-9 (राजस्व व्यय प्रस्तावों से संबंधित शक्तियां) के लिए भी लागू होंगे ।

शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2021 में संशोधन (संशोधन/ परिवर्धन)

डीओपी पैरा	संशोधन	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त				अभ्यक्तियाँ	
			अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग के प्रमुख	संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य, नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)/ विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक		प्रभारी अधिकारी /सहायक महाप्रबंधक/ सम्बंधित वरिष्ठ
4.1 (सी)	मौजूदा	लाइन रख-रखाव/इंजीनियरिंग सुविधा हेतु ऑपरेटर्स / एयरलाइंस (अनुसूचित/गैर-अनुसूचित)/ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों/विमान रख-रखाव एजेंसियों/तेल कंपनियों के लिए , पोर्टा केबिनो के प्लेसमेंट/ उपकरणों /डॉली/ट्रॉली/ऑयल बोजर्स की पार्किंग के लिए परिचालन क्षेत्र में निर्मित स्थान, पक्की सतह या भूमि का आवंटन/नवीकरण / लाइसेंस पर मोबाइल स्टोरेज और उसका नवीनीकरण	15 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	10 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	---	---	---	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 7 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	---	(i) भूमि का पहली बार आबंटन योजना / प्रचालन निदेशालय के पूर्वानुमोदन पर आधारित होगा। (ii) टर्मिनल बिल्डिंग/सिटी-साइड में निर्मित स्थान का कार्य वाणिज्य निदेशालय के पास जारी रहेगा।
	संशोधन	लाइन रख-रखाव/इंजीनियरिंग सुविधा हेतु ऑपरेटर्स / एयरलाइंस (अनुसूचित/गैर-अनुसूचित)/ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों/तेल कंपनियों (e) /विमान रख-रखाव एजेंसियों के लिए, पोर्टा केबिनो के प्लेसमेंट/ उपकरणों / डॉली/ट्रॉली/ऑयल बोजर्स की पार्किंग के लिए परिचालन क्षेत्र में निर्मित स्थान, पक्की सतह या भूमि का आवंटन / नवीकरण /लाइसेंस पर मोबाइल स्टोरेज और उसका नवीनीकरण ।	15 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	10 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	---	---	---	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 7 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर 5 वर्ष की अवधि तक की शक्तियाँ	---	(i)भूमि का पहली बार आवंटन योजना / परिचालन निदेशालय के पूर्वानुमोदन पर आधारित होगा। (ii) टर्मिनल बिल्डिंग/सिटी-साइड में निर्मित स्थान का कार्य वाणिज्य निदेशालय के पास जारी रहेगा।  <b>@ केवल मोबाइल या ऑन व्हील रीफ्यूलिंग/मोबाइल स्टोरेज के लिए (स्थायी एएफएस के लिए नहीं)। मोबाइल रीफ्यूलिंग/स्टोरेज के लिए नई अनुमति देने की शक्तियाँ निगमित मुख्यालय के पास निहित हैं।</b>
4.3 (बी)	मौजूदा	नई सुविधा के लिए न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क (एमआरएलएफ)/न्यूनतम वार्षिक गारंटी (एमएजी) का निर्धारण	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	---	---	क्षे. का.नि.-ग्रेड 3 और 4 हवाई अड्डों के लिए पूर्ण शक्तियाँ; विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -I पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	---	(i) नई सुविधाओं के लिए एम.आर.एल.एफ. के निर्धारण हेतु। (ii) एमआरएलएफ/एमएजी की गणना समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
	संशोधन	नई सुविधा के लिए न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क (एमआरएलएफ)/न्यूनतम वार्षिक गारंटी (एमएजी) का निर्धारण	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	.....	.....	---	क्षे. का.नि.- क्षेत्रीय मुख्यालय एवं ग्रेड -3 एवं ग्रेड -4 हवाईअड्डों के लिए पूर्ण शक्तियाँ; विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -I - पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	प्रस्ताव करने की पूर्ण शक्तियाँ	---	(i) नई सुविधाओं के लिए एम.आर.एल.एफ. के निर्धारण हेतु। (ii) एमआरएलएफ/एमएजी की गणना समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2021 में संशोधन (संशोधन/ परिवर्धन)

डीओपी पैरा	संशोधन	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					अभ्युक्तियाँ
			अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग के प्रमुख	संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य, नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)/ विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक	प्रभारी अधिकारी /सहायक महाप्रबंधक/सम्बंधित वरिष्ठ	
4.12 (ए)	परिवर्धन	भा.वि.प्रा उपकरणों/ सेवाओं के लिए प्रभारों का अनुमोदन (विभिन्न निदेशालयों द्वारा लिए गए राजस्व अर्जन अनुबंधों के लिए) ।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	....	---	---	---	---	---	---	---	इस विषय पर नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
4.12 (बी)	परिवर्धन	सरकारी एजेंसियों और अन्य गैर-भा.वि.प्रा संस्थाओं को भा.वि.प्रा उपकरण/सेवाएं उपलब्ध कराने से सम्बंधित अन्य राजस्व अर्जन अनुबंधों की स्वीकृति हेतु ।	पूर्ण शक्तियाँ	समिति (*) की सिफारिशों पर रु 1500 लाख तक की शक्तियाँ	रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	आर ए सी की सिफारिशों पर रु 500 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	(i) उपर्युक्त विषय पर नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार। (ii) जहां तक संभव हो, नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। (iii) विभागीय प्रभारों में कमी/छूट की शक्तियाँ डिपॉजिट वर्क को अनुमोदित करने वाले अधिकारी के अगले उच्च सक्षम प्राधिकारी के पास होंगी, तथापि अध्यक्ष के पास पूर्ण शक्तियाँ होंगी। * समिति में संबंधित कार्यपालक निदेशक , कार्यपालक निदेशक (वित्त) और संबंधित सदस्य द्वारा नामित कोई अन्य कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। संबंधित महाप्रबंधक सदस्य (सचिव) होंगे।
9.10 (सी)	मौजूदा	परिशिष्ट 'ए' - सूची अलग से परिचालित की जा रही है।											
	संशोधन	परिशिष्ट 'ए' - विशिष्ट एजेंसियों की विस्तृत सूची के लिए अनुलग्नक 'बी' देखें।											
9.10 (डी)	परिवर्धन	कंसल्टेंसी कार्यों के लिए सरकारी संस्थान जैसे आई आई टी , सी आर आर आई , सी वी आर आई आदि को अग्रिम भगतान।	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में रु 20 लाख तक की शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	
9.14.1	परिवर्धन	सरकारी विभागों से पट्टे या किराये के आधार पर भूमि।	पूर्ण शक्तियाँ	पीएसी की सिफारिशों पर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए शक्तियाँ	---	---	---	---	---	---	---	---	
9.23 (ए)	मौजूदा	केश-इनचेस्ट/केश-इन-ट्रॉजिट का बीमा ,फिडेलिटी बीमा, मेटेरिअल-इन-ट्रॉजिट, अनिवार्य बीमा जैसे वाहन बीमा और सदस्य द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमोदित अन्य प्रकार के बीमा	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2021 में संशोधन (संशोधन/ परिवर्धन)

डीओपी पैरा	संशोधन	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय				निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त				अभ्युक्तियाँ	
			अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित कार्यपालक निदेशक	विधि विभाग के प्रमुख	संबंधित महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ प्रधानाचार्य, नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)/ विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -I	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -II/ संबंधित महाप्रबंधक	विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -III/ संबंधित संयुक्त महाप्रबंधक		विमानपत्तन निदेशक ग्रेड -IV/ संबंधित उप महाप्रबंधक
	संशोधन	कैश-इनवेस्ट / कैश-इन-ट्रांजिट का बीमा फिडेलिटी बीमा, मेटेरिअल-इन-ट्रांजिट, अनिवार्य बीमा जैसे विमान और चालक दल के बीमा सहित वाहन बीमा, और सदस्य द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमोदित अन्य प्रकार के बीमा	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	---	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ	विमान/चालक दल के बीमा के लिए भा.वि.प्रा./डीजीसीए/सीएआर दिशानिर्देशों के अनुसार

परिशिष्ट ए

डीओपी पैरा 9.10 (सी) देखें - विशिष्ट एजेंसियों की सूची

- (i) गगन परियोजना हेतु इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)
- (ii) डी आर डी ओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के अधीन बर्फ व हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस ए एस ई)
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) का आर एंड डी प्रभाग
- (iv) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) का आर एंड डी प्रभाग
- (v) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का आर एंड डी प्रभाग
- (vi) नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर)
- (vii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सभी आईआईटी)
- (viii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सभी एनआईटी)
- (ix) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन समीर (सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च)
- (x) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस)
- (xi) इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (ईआरटीएल) - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम
- (xii) इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केंद्र (ईटीडीसी) - पूरे भारत में स्थित ग्यारह केंद्र
- (xiii) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)
- (xiv) केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
- (xv) केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- (xvi) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र (एनसीआईआईपीसी)
- (xvii) टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)
- (xviii) टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
- (xix) शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क इंडिया (ईआरएनईटी)
- (xx) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली
- (xxi) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली
- (xxii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
- (xxiii) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
- (xxiv) इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
- (xxv) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया
- (xxvi) हवाई अड्डों पर पक्षी/वन्यजीव गतिविधियों की रोकथाम के लिए वन्यजीव, मृदा और पौधों का अध्ययन करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार / राज्य-सरकार विश्वविद्यालय

- (xxvii) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान
- (xxviii) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एसएसीओएन), कोयंबटूर, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) का एक उत्कृष्टता केंद्र ।
- (xxix) भारतीय गुणवत्ता परिषद, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन
- (xxx) कोई अन्य सरकारी एजेंसियां जो विमानन क्षेत्र में विशेषज्ञ तकनीकी परामर्श दे रही हैं।



सं.एएआई/सीएचक्यू/एफएंडए/डीओपी-21/संशोधन/2021-22/365-404 दिनांक: 15 मार्च, 2022

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उ.क्षे./द.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.पू.क्षे.

विमानपत्तन निदेशक/प्रधानाचार्य,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नई/सीएटीसी, प्रयागराज।


**डी ओ पी: 2021 - संशोधन सं० 02**

**विषय: शक्तियों के प्रत्यायोजन 2021 में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन।**

महोदय,

एएआई बोर्ड ने 15 फरवरी, 2022 को आयोजित 206वीं बोर्ड बैठक में अनुलग्नक "ए" के अनुसार शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन - 2021 में परिवर्तनों/परिवर्धनों के माध्यम से संशोधनों को मंजूरी दी है।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। इसे सभी संबंधितों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किया जाए।

भवदीय,  
  
(धर्मेंद्र भोजवानी)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

**संलग्नक: अनुलग्नक "ए"**

वितरण:

1. अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्याधिकारी
2. सदस्य प्रचालन/मा.सं./योजना/वित्त/एएनएस/सीवीओ
3. का.नि.-इंजी- उ.क्षे./उ.पू.क्षे/प.क्षे./पू.क्षे./द.क्षे./प्रचा/एएस/तक./सू.प्रौ./सीएनएस (पी)/ सुरक्षा /प्रशासन/वाणिज्य/मा.सं./योजना/ का.नि. वित्त (आई ए)/ का.नि. (जेवीसी)/ का.नि. (एफआईयू)/ सीआईओ.
4. सभी महाप्रबंधक (वित्त)
5. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) - इस अनुरोध के साथ कि इसे भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

**\*\* किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही अधिकृत माना जाए\*\***

शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2021 में संशोधन (संशोधन/ परिवर्धन)													
डीओपी पैरा	संशोधन	शक्ति की प्रकृति	निगमित मुख्यालय					निगमित मुख्यालय के अतिरिक्त					टिप्पणियां
			अध्यक्ष	संबंधित पूर्णकालिक सदस्य	संबंधित का.नि.	विधि विभाग के प्रमुख	संबंधित म.प्र.	क्ष.का.नि./ प्रधानाचार्य सीएटीसी/ वि.नि. ग्रेड-I	वि.नि. ग्रेड-II / संबंधित म.प्र.	वि.नि. ग्रेड-III / संबंधित संयुक्त म.प्र.	वि.नि. ग्रेड-IV/संबंधित उ.म.प्र.	प्रभारी अधिकारी / स.म.प्र./ संबंधित वरि.प्र.	
1.39	मौजूदा संशोधन	डीओपी में इंगित वित्तीय शक्तियां जीएसटी और अन्य सभी करों/शुल्कों आदि सहित कुल वित्तीय निहितार्थ को दर्शाती हैं। (क) प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति (एए एंड ईएस) प्रदान करने के लिए शक्तियों को डीओपी पैरा 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4 (ए) और 9.1 के तहत इंगित शक्तियों के अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में 20% तक बढ़ाया जाएगा। (ख) डीओपी में इंगित वित्तीय शक्तियां जीएसटी और अन्य सभी करों/शुल्कों आदि सहित कुल वित्तीय निहितार्थ को दर्शाती हैं।											
5.5.1	परिवर्धन	मध्यस्थता शुल्क का अग्रिम भुगतान	पूर्ण शक्तियां	प्रत्येक मामले में ₹3 करोड़ तक की शक्तियां	प्रत्येक मामले में ₹30 लाख तक की शक्तियां	प्रत्येक मामले में ₹30 लाख तक की शक्तियां	---	प्रत्येक मामले में ₹30 लाख तक की शक्तियां	---	---	---	---	असाधारण मामलों में, मध्यस्थ के विशिष्ट अनुरोध पर विधि विभाग की सहमति से अग्रिम भुगतान दिया जाए।



सं. एएआई/सीएचक्यू/एफएंडए/डीओपी-21/स्पष्टीकरण/2022-23

26 मई, 2022

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र  
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक/प्रधानाचार्य,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/चेन्नई/सीएटीसी, प्रयागराज

**डीओपी-2021 स्पष्टीकरण संख्या 03**

**विषय: अधिवक्ता/मध्यस्थ के फीस की स्वीकृति से संबंधित डीओपी पैरा 5.5 पर स्पष्टीकरण**

महोदय,

विधि निदेशालय से प्राप्त टिप्पणी (Note) जोकि काउंसल/मध्यस्थ के फीस की स्वीकृति संबंधी डीओपी पैरा 5.5 पर स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में है।

उक्त पैरा की टिप्पणी 2 के अनुसार, "वरिष्ठ वकील/मध्यस्थ की नियुक्ति के समय, ऐसे वरिष्ठ वकील/मध्यस्थ को दिया जाने वाला व्यावसायिक शुल्क नियम और शर्तों के साथ अध्यक्ष से अनुमोदित होना चाहिए।"


इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता के शुल्क को सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपी के अनुसार एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद, की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति पर यह जारी रहेगा तथा जब कभी ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता के नियम और शर्तों तथा उसके व्यावसायिक शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो अध्यक्ष भाविप्रा0 के नए अनुमोदन

*[Handwritten signature]*  
26/5

-2-

की आवश्यकता होगी । हालांकि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति से पूर्व, मामले का संक्षिप्त विवरण अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा ।

भवदीय,



(धर्मेंद्र भोजवानी)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

वितरण:-

1. सदस्य (मा.सं./ (योजना) (सदस्य (वित्त)/ सदस्य (एएनएस/ प्रचालन)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. कार्यपालक निदेशक (अभि.), भाविप्रा, नि.मु:- उ.क्षे/द. क्षे/प. क्षे/पू. क्षे/उ. पू. क्षे/योजना  
कार्यपालक निदेशक- /सीएनएस-पी/ आईटी /विमानन संरक्षा /वाणिज्य/ प्रचालन/ तकनीकी/वित्त  
(आईए)/जेवीसी/ एफआईयू/सीआईओ
3. महाप्रबंधक (वित्त)- सभी
4. महाप्रबंधक (आईटी) - एएआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. अध्यक्ष महोदय के कार्यपालक सचिव

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही अधिकृत माना जाए ।